MR. DEPUTY-SPEAKER Mr. Maran. He is not here. Shri Parashar.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Eighth Schedule)

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Ninth Schedule)

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted

SHRI ARJUN SETHI: I introduce the Bill.

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Section 17 and Second Schedule)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970."

The motion was adopted.

PROF. MADHU DANDAVATE. I introduce the Bill

---

15 05 hrs

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*contd.*

(Amendment of Articles 19 and 326) by Dr. Laxminarain Pandeya

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further consideration of the motion moved by Dr. Laxminarayan Pandeya on the 26th July, 1974:

"That the Bill further to amend the Constiuttion of India, be taken into consideration."

What is the position? Who was speaking on the last occasion?

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Hon. Deputy Speaker, Sir, by all standards we are rapidly becoming a country of young people and, Sir, in our society and in our culture we have always tried to adjust and accommodate the new thoughts, new generation and the new culture and the Indian culture and society has developed a capacity to assimilate

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 23-8 1974

whatever new thoughts and changes that come into it. Therefore, when we first introduced adult franchise in this country and the voting age was fixed at 21 I had seen myself many people in this country who thought this as something which could not be practised and even many people outside thought India has done something revolutionary and the Indian democracy may not survive. But during the last 26 years we have found that we have taken to a right path and this experiment has proved to be a success. I was reading a poem written by an eminent writer, Robert Frost, in one of his most passive mood and he has written.

"Two roads diverged in a wood and I took that one less travelled by

And that has made all the difference."

I find that this Government and the great Congress party itself which is the harbinger of democratic thoughts in this country during the last many years have never been afraid of introducing new thoughts, and changes and thereby becoming younger and younger everyday though older in age.

Therefore, I must appeal that let the new generation get a passport to this new dense wood where there are so many forked-roads which go in different directions. This new generation which has imagination and which thinks and feels to contribute something to rejuvinate the process of our democratic institutions, I hope, they have enough scope and we have also will and determination to accommodate the new generation. Even Lord Jagannath takes a new shape every 12 years and it is called 'Nava Kalevar'. The system is: let us change. This new young generation which was born in 1955-56 have achieved the age of 18 by 1974. If we divide the years of Independence into half and half then we will find that those who were born in 1955-56 will come into the age of 18 by 1974 Therefore, in all fairness, let us welcome this change. It may not be decided today or tomorrow; it may not be decided in two years but this is a process of thought which has started and we hope the Government will give serious consideration to this thought and, in fact, many of the young people whom I have met I found they have in their mind this aspiration and feel that they have the energy to change the present burden cratic and depersonalised structure and they want to find some channel through which they can direct their energy to bring about something new, I have talked to many young men and I know their feelings. Any system that gets stabilised resists change without knowing that change is the only method by which internal tensions could be avoided. In this respect the following observations of Mr. MacNamara in his book called *Essence of Security* is quoteworthy:

"It has been often said that man is the only creative animal on earth, though paradoxically his resistance to change sometimes can be almost heroically obstinate. He builds institutions in order to preserve past innovations but in that very act often fails to promote the environment for the growth of new ones and so there have developed the so-called gaps that trouble our generation."

Therefore, in this age of galloping radical changes to remain relevant to our society and to our own times, it is necessary that we shall have to keep in touch with the galloping ratio of changes that are taking place all around us and even in our own country during the last four or five years. In view of these considerations. I feel that the time has come to give a fresh consideration to this matter. I do not say that the hon. Minister should agree to this proposal today; I do not say that Government must agree to it today or tomorrow. but the process of thought

[Shri Chintamani Panigrahi]

has started in the country, and in the minds of young men, and I am quite sure that the Congress Party and the Government have been seized of this matter. Many difficulties may be there, such as article 19, the Fundamental Rights and so on, but I would appeal to the hon. Minister and the Government that keeping in view the radical change that are taking place in our society and in our country and in the minds of young people the time has come when this thought process on this matter has to start, and it may be that in a period of one year or two years or three years we may think of reducing the voting age so that the vast number of younger people who are coming up now could get the opportunity for getting themselves involved in this process. In this age of protests it is better to allow them to channelise their protest though these new democratic institutions so that these institutions remain ever fresh and remain young and relevant.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before we proceed further, I would like to draw the attention of the House that when we started we had a balance of just 25 minutes for this particular discussion. But there are a large number of slips here and a number of Members named in the list. We cannot accommodate all of them, because the hon. Minister also has to reply and he has not replied yet. So, what is the pleasure of the House? What do hon. Members want?

SHRI SAT PAL KAPUR (Patiala): It may be extended by one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Here is a suggestion that the time may be extended by one hour. Very well.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । जिस देश में युवक उपेक्षित होते हैं वह देश कमजोर बन जाता है । आज इस देश की भी यही हालत हो गई है । इस देश में युवक उपेक्षित हो रहे हैं । आज इस देश के युवकों में निराशा है, हताशा है और उनमें एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया है जिससे उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनका कोई भविष्य ही नहीं है । आज सामाजिक क्षेत्र में युवकों को अपना कोई निश्चित स्थान लगता नहीं है इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि यहां पर उनको रिकग्निशन मिले । आज विद्यालयों मे जैसी परिस्थिति है वहां भी युवक उपेक्षित है । एक्सरसाइज बुक्स, पाठ्यपुस्तक सतुलित आहार एवं पोषण के मामले मे भी वे उपेक्षित हैं जिसके कारण उनमें घोर निराशा है । जैसा कि मैने बताया जिस देश के युवक उपेक्षित होते है वह देश कमजोर हो जाता है और वही हालत आज हमारे देश की भी हो गई है ।

15 14 hrs.

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

वास्तव मे यह जो विधेयक लाया गया है यह बहुत ही साधारण है । इस विधेयक में जो माग की गई है वह सर्वसाधारण की माग है और यह आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता भी है । हमारे दल ने भी यह माग की है कि 18 वर्ष के हर व्यक्ति को मताधिकार दिया जाये । वास्तव मे आज यह बिल्कुल सर्वसाधारण माग है । मेरी समझ में नही आता सरकार इसको क्यो नही स्वीकार करती है । एक ओर तो सरकार अपने को प्रोग्रेसिव बताती है लेकिन जब मौका आता है तो सरकार युवकों को उपेक्षित ही रखती है ।

दूसरे क्षेत्रों में जहा जहां आयु का सम्बन्ध आता है वहां पर 18 वर्ष की आयु को उचित समझा गया है जैसे बैंक का मामला हो, कोर्ट का मामला हो, उन सभी मामलों में 18 वर्ष की आयु उचित समझी जाती है तो फिर मताधिकार के लिए 18 वर्ष की आयु को उचित न समझने का

कोई कारण नही जान पडता है। कोई वजह नही है कि 18 वर्ष के व्यक्तियो को मताधिकार क्यों न दिया जाये। इसको न करने का कोई लाजिक नही है।

आप जानते हैं कि जब प्रकृति का रहस्य खुल जाता है तो उसका प्रभाव समग्र मनुष्य के जीवन पर पडता है। आज तो परिस्थिति ऐसी है कि मनुष्य चाद पर पहुच गया है। आज हम न्यूक्लियर एज, आणुविक युग मे प्रवेश कर गए है। आज प्रकृति और मनुष्य जीवन का जो सन्दर्भ है वह बदल गया है। आयु की वजह से जो जेनरेशन गैप है वह गैप बिल्कुल कम हो गया है। आज युवको की जो मेच्योरिटी है वह काफी बढ चुकी है। दो जेनरेशन के बीच जो गैप था वह आज कम हो गया है। इसलिए आज के नवयुवक सोच-समझ कर कोई निर्णय कर सके ऐसी परिस्थिति और वातावरण पैदा हो गया है केवल इस देश मे ही नही बल्कि सारे संसार मे आज प्रकृति का जो रहस्य खुला है उसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर पडा है, जैनरेशन गैप भी कम हो गया है इसलिए यह बिल्कुल जस्टिफाइड है कि 18 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को मताधिकार दिया जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करूगा कि वह इस बिल को स्वीकार करले या फिर सरकार युवको को आश्वासन दे स्वंय विधेयक लायेगी जिसमे 18 वर्ष के आयु के समस्त व्यक्तियो को मताधिकार दिया जा सके।

इन शब्दो के साथ मै इस विधेयक का समर्थन करता हू।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : हमने परमाणु युग मे कदम रखा है। लोग चाद तक पहुचने की कोशिश कर रहे है और एक दिन उस मे भी सफल होंगे। यहा बैठा हुआ कोई अगर यह कहे कि 18 साल के युवक को मताधिकार नही देना चाहिए तो यह समझ मे आने वाली बात नही है। ऐसा कहना जमाने की रफ्तार को न समझना है। युवक हमारा आदर्शवादी है, समझदार है, उनको आप अधिकार से क्यो वंचित रखना चाहते है। क्यो प्रगति के रास्ते मे रोडा अटकाना चाहते है। बूढे और घिसी पिटी लीक पर चलने वाले लोग ही इसका विरोध करेंगे और कहेंगे कि उन मे मैच्योरिटी नही आई है। आप कौन है उनको मैच्योरिटी सिखाने वाले। हमारे और उनके जमाने मे फर्क है, बहुत ज्यादा बह आ चुका है। आज जो दसवी से पढता है वह टी वी भी देखता है रेडियो भी सुनता है। ये चीजे हमारे जमाने मे कहा थी। हमको युवको को आगे बढने का मौका देना चाहिए। आपके उपदेशो पर वे नही चलते रह सकते है। वे आदर्शवादी है। वे लोग स्कूलो और कालेजो मे यूनियन बनाते है, उन मे हिस्सा लेते है। अध्यक्ष बनते है। सैक्रेट्री बनते है, वे कार्य करना जानते है। 18 साल का जब वह हो जाता है तो मेजर कहलाता है ला मे। उसको आप रोकना क्यो चाहते है। मै समझता हू कि इस मसले पर डिविजन का कोई सवाल नही है। अगर मंत्री महोदय समय चाहते है तो उनको विचार करने के लिए समय दे दिया जाए। अगर आप उनको यह अधिकार नही देंगे तो इस अधिकार को वे आप से छीन लेंगे। उन मे ताकत होनी चाहिए। जिसमे ताकत होती है वह अधिकार ले लेता है। मांगने से कभी कभी कोई चीज नही मिलती है। छीनी भी जा सकती है। देने वाले आप और हम कौन है। वे अपनी अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते है, सपनो को साकार करना चाहते है, देश का नया रूप देना चाहते हैं तो उनको इसका मौका मिलना चाहिए। घिसी पिटी लीक पर चलने वाले, लाठी का सहारा लेकर चलने वाले उनको इस अधिकार से अधिक देर तक वंचित नही रख सकेंगे। यह नई विचारधारा के अनुरूप चीज है। इसमे बच्चो के मत हरे हो सकते है। उम्र मे इसका सम्बन्ध नही है। आपको इन पर भरोसा रखना चाहिए। डिप्टी मिनिस्टर बैठे हुए है वे जवान है। इनको आपत्ति नही होनी चाहिये इस पर। अगर ला मिनिस्टर

[श्री मूलचन्द डागा]

कहेंगे कि हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और जल्दी निर्णय करेंगे तो ऐसा करने का उनको मौका दिया जाना चाहिए। उनको मना नहीं करना चाहिए। हजारों लाखों युवक इसका क्या अर्थ निकालेंगे अगर आपने मना कर दिया, इस बारे में आपका मन साफ होना चाहिए।

DR. KARNI SINGH (Bikaner): Mr. Chairman, Sir, I am sorry, I have to sound an opposite point of view I feel that the founding fathers, when they made the Constitution of our country, had given this matter a great deal of thought. Although, of course, the time has changed and we have produced some atom bombs, the question today is: do we want that our children, who are still in the colleges, enter into this type of politics or do we want them to conduct their studies carefully, thereby making themselves more equipped, better equipped, more responsible citizens, before they cast their votes to determine what type of government and what type of democracy they want? Personally, I am opposed to any change at this stage. I feel that the age of 21 is the correct age and people at 21 are mature enough to decide as to what type of country and government they should have.

I feel that many of us sometimes are carried away by western ideas and perhaps England and some other countries have gone to the voting age of 18. But those countries have also gone very far towards a permissive society. Many of us who have visited those countries lately would not like our country go that way

I am not by any means belittling the fact that the youth our country is capable of taking a decision on their destinies or the destinies of the country. But in my mind I am still quite clear that the time has not come when the age should be lowered to 18. The question before all of us in this House is: do we want a mature democracy to emerge, particularly on account of the chaotic conditions in Which we have landed us, or do we want to increase the voting strength of the radical section of the community? There is no doubt in our mind that we have all been once 18 years old. When we were 18 years, our blood was hot and we thought differently. But, as we became mature, we thought a little more dispassionately. Therefore, I do weel that whatever the founding fathers have done, they have done after giving a great deal of thought, and we should not amend the Constitution.

श्री धनशाह प्रधान (शहडोल) : मैं डा० पांडेय द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। जब राजस्व और अन्य वित्तीय मामलों में न्यायालय के समक्ष 18 वर्ष के युवक को वयस्क समझा जाता है तो फिर इस उम्र के युवकों को देश के आम चुनाव में वोट का अधिकार न देना तर्क संगत नहीं है। 18 वर्ष के युवक युवतियों परिपक्व बुद्धि वाले होते हैं। उन में समझ विवेक और हानि लाभ को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है। इस उम्र के युवकों को मताधिकार से वंचित रखना देश के हित में नहीं है।

आज युवकों में रोष है। देश की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था से देश का युवक वर्ग संतुष्ट नहीं है। उन में क्रोध है। वह चाहता है कि देश की शासन व्यवस्था और नीति निर्धारण में उसे भी भाग लेने का अवसर मिलना चाहिये। आज के कुछ और असन्तुष्ट युवकों को शान्त करने का एक मात्र उपाय यही है कि उसका सहयोग प्राप्त किया जाए। वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए आज युवक वर्ग बेचैन है। 18 वर्ष के युवक मौलिक विचारों से ओतप्रोत हैं। मुझे विश्वास है कि देश को इस युवा शक्ति का सही दिशा में उपयोग करने के लिए हमें डा० पांडेय के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये।

अन्त में मैं उन युवक युवतियों को यही कहूंगा :—

मायूस न हो मेरे हम खयाल दोस्त
दिन दूर नहीं जब इनक्लाब फिर आएगा
क्रान्ति उठेगी इस देश के जन जन में
सूरज निकलेगा अंधकार हट जाएगा ।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) . जब कभी कोई प्राबलम्ज आए तो डा कर्णी सिंह और हमारे खाया रात आपस में कभी . . नहीं पाए यानी प्राबलैम बराबर चेंजर और नौ चेंजर का रहा है। मै डा लक्ष्मी नारायण पाडेय . को मुबारिकबाद देता हू कि एक सही और दुरुस्त बिल वह इस हाउस मे लाए है। जब हम चाहते है कि नौजवानो को आज की प्राबलम्ज मे इनवाल्व करे, तो जरूरत इस बात की है कि इस नज़दीकी की तरफ हमे कदम बढाना चाहिए । मैं पूरे दिल से इस बिल के हक मे हू ।

*SHRI E. R KRISHNAN (Salem): Mr Chairman, Sir, I extend my whole-hearted support to Dr. Lakshminarayan Pandey's Constitutional Amendment Bill, seeking to amend Article 19 and Article 326 of the Constitution for the purpose of reducing the voting age to 18. At the very outset, I would say that this is a Bill which should be welcomed by all the Members of the House.

After the great split in 1969 in the Congress Party when the old bandicoots were thrown out, the ruling Congress Party took certain radical and progressive steps like the abolition of privy purses, nationalisation of 14 major commercial banks, nationalisation of coal-mines, nationalisation of General Insurance Companies etc. which were welcomed by the youth of the country. Sir, the ruling Congress Party got a new life in the two problem States of West Bengal and Kerala with the active support of the youth of these two States. But the same youth today are greatly disillusioned because the Congress Party has not brought down the voting age to 18. Their disillusionment has been rejected in the recently held Delhi University Students Elections in which the Akil Bharatiya Vidyarthi Parishad scored a significant victory over the students' organisation supported by the ruling party After this debacle in the University Students Elections, the Government may now be inclined to give the voting right to 18-year olds.

It is paradoxical that, while the Evidence Act, the Criminal Procedure Code, the Hindu Marriages Act etc. recognise the 18-year olds, the People's Representation Act does not recognise the right of the 18-year olds to vote. The denial of the right to vote for the 18-year olds is further aggravated by the fact that all the Vice-Chancellors of Universities in the country have unanimously suggested that the voting age should be reduced to 18 The hon. Minister of Law may not agree to this Bill of Dr Pandey who belongs to Jan Sangh, an Opposition Party. But I hope that he will at least respect the views of a senior Congress Member, who was former Education Minister and former Vice-Chancellor of Delhi University, Shri V. K R. V. Rao. Shri Rao, in his speech on this Bill, has given cogent reasons for reducing the voting age to 18 and he has extended his full support to this Bill. I expect that the hon. Law Minister may agree to this proposition in principle and later on bring a Bill to amend the Constitution for achieving this objective.

In the State of Gujarat there was widespread students' unrest. The students in Bihar are agitating for so many months now It is feared that the students' unrest might spread to other States also It is time that the Government formulate a legislative proposal to channelise the ebbing energies of the student community in the country into constructive lines.

*The Original speech was delivered in Tamil.

[Shri E. R. Krishnan]

As the students are the future guardians of the country, I feel strongly that the Government should not look at this issue from the ruling party's political interests. While those who are on the throes of death have got the right to vote, it is surprising that those who are on the threshold of life should be denied this right. Sir, I am of the view that, once the 18-year olds are given the right to vote, the student community may start behaving in a responsible manner.

Sir, we are not tired of referring to the parliamentary procedures prevalent in the United Kingdom. In the United Kingdom, the 18-year olds have been given the right to vote. I fail to understand why the Government are hesitant to emulate this example from the United Kingdom. Our Government have entered into a long-term friendship treaty with the Soviet Russia. Our Government frequently fall upon the experience of Soviet Russia in implementing socialist programmes. When the voting age has been reduced to 18 inSoviet Russia, I wonder why our Government have not yet given the voting right to the youth of our country.

Sir, according to 1971 Census the student population in the age group of 18 is roughly about 10 crores. This is about 20 per cent of our country's population. To deny to 20 per cent of the country's population the right to vote is definitely a slur on Indian democracy.

From whatever angle the Government may look at this question. I am sure that they will realise the need for reducing the voting age to 18, bearing in mind the arguments I have advanced. I hope that the hon. Law Ministry will soon come forward before this House with legislative proposals to make the cherished dream of the youth of country a reality.

With these words, I conclude.

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : सभापति महोदय, डा० पांडेय ने जो विधेयक पेश किया है, उस के दो पहलू हैं। एक तो उन का कहना यह है कि वोटिंग एज को फ़ंडामेंटल राइट मान लिया जाये और दूसरे, उन का कहना यह है कि अनुच्छेद 326 में 21 साल की जगह पर 18 साल रख दिया जाये।

पहली बात के बारे मे मेरा निवेदन यह है कि फ़ंडामेंटल राइट को एज की लिमिट से न बाधा जाये। आप को याद होगा कि जब फ़ंडामेंटल राइटस का सवाल संविधान निर्मात्री सभा में उपस्थित हुआ था, तो श्री के० एम० मुन्शी ने यह प्रस्ताव रखा था कि वोटिंग एज को फ़ंडामेटल राइट मान लिया जाये। इस के बारे में बडा विवाद खडा हो गया और इस सम्बन्ध मे एक कमेटी का निर्माण हुआ, जिस के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने 23 अप्रैल, 1947 के अपने पत्र के अन्त मे लिखा था :

"While agreeing in principle with the clauses, we recommend that instead of being included in the list of Fundamental Rights, it should find a place in some other Part of the Constitution."

और इसी लिए इसे आर्टिकल 326 में रखा गया। इस लिए मैं डा० पांडेय से कहूंगा कि इस को फंडामेंटल राइटस में न रखना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि इस पर कांस्टीटयुएन्ट एसेम्बली में बहुत मन्थन हो चुका है।

जहां तक वोटिंग एज का सम्बन्ध है एक ऐसी बात चल रही है जिस मे एसा लगता है कि सारे हिन्दुस्तान में एजूकेटिड यूथ ही यथ है और गांवों में जो नान-एजूकेटिड यूथ रहते हैं वे यूथ नहीं हैं। अगर 18 साल की वोटिंग एज मान ली जाये तो हमारे इलक्ट्रल रोल में 5 करोड़ मतदाता बढ़ेंगे। उस में केवल 10 परसेंट जो वनकुलर मिडल स्कूल तक पढ़े हैं उससे सिर्फ वही आयेंगे। इस सदन में इस तरह की बात कही गयी है कि सारे एजूकेटिड

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

लोग 18 साल की उम्र मे आ जायेंगे और गावों मे रहने वाले उस से अलग रहेंगे। मै समझता हूं कि इस सदन मे ऐसी बात नही कही जानी चाहिए।

सरकार के सामने इलैक्शन कमीशन की प्र.नी रीकमेंडशन्ज है। उन मे कुछ ऐसी प्रक्रियायें है जिनकी दृष्टि से सरकार और इलैक्शन कमीशन के सामने कुछ कठिनाइयां हो सकती है। लेकिन सरकार का, और इस ओर बैठने वालो का, यह कभी मन्तव्य नही हो सकता है कि वोटिंग एज को 18 साल न किया जाये। यह सही है कि हमारी डेमोक्रेसी अभी इतनी मेच्युर नही हुई है और हम अभी मेच्युरिटी की एज मे नही आय है जैसे कि विलायत के लोग आ गये है। लेकिन यह भी नही है कि वोटिंग एज को 18 साल करने से कोई ऐसी स्थिति पैदा नही हो जायेगी, जो 21 साल करने से पैदा नही हुई। सरकार को भी इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये और आज 18 साल की उम्र को मानने मे कोई उन को दिक्कत नही होनी चाहिए कोई परेशानी नही होनी चाहिए। यह हो सकता है कि आज इस बिल को न स्वीकार किया जाय। इस बिल मे बहुत सी ऐम्बीगुइटीज हो सकती है। जैसा मैं ने कहा कि अभी इस का फंडामेंटल राइट मे रखने के लिए मैं कभी नही कहूंगा और मैं समझता हूं कि पांडेय जी भी मुझसे इस मे सहमत होंगे कि इसे उस मे इन्क्यूड न किया जाय। यह बात हो सकती है कि आर्टिकिल 326 मे ही इस को 21 की जगह 18 कर के रख दिया जाय। ये टेकनिकल इश्यूज़ हो सकते है लेकिन इन के फार रीचिंग कासीक्वेंसेज हो सकते है। मगर इधर बैठने वाले कोई ऐसा नही है कि इस बात को स्वीकार न करते हो। आज की परिस्थिति मे यह बात सही है कि युवक मेन-स्ट्रीम मे आना चाहते है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ डमोक्रेसी से भाग लेना चाहते है और सारी पार्टियों के लोगो ने यूथ्स को अपने अपने स्तर पर इस्तेमाल किया है। हमारे देश मे पार्टी का सिस्टम यहा पर चल रहा है और पार्टी सिस्टम मे अगर जिस यूथ के लिए हम चाहते है कि वे परिपक्व हों और भविष्य के निर्माणकर्त्ता बनें तो आज कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि इधर या उधर के बैठने वालो मे एक भी इस को मानता हो इस को लाने मे देरी हो सकती है लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हू कि इधर या उधर बैठने वालो के विचारो मे और सोचने समझने के तरीको मे इस प्रश्न के ऊपर दो राय नही हो सकती कि वोटिंग एज 18 साल की हो।

इन शब्दो के साथ में सरकार से निवेदन करूंगा कि जब भी उन के लिए सम्भव हो अगर आज नही तो कल या जब भी हो लेकिन वोटिंग एज को 18 साल रखने के सिलसिले मे वह कदम उठाए और इस मे सरकार को कोई दिक्कत नही होनी चाहिए।

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) : सभापति जी, अभी मैंने डा० कर्णी सिंह की बात सुनी और अपने सामने बैठे हुए वक्ता की बात भी सुनी। डा० कर्णी सिंह का कहने का मतलब यह था कि 18 साल के युवक अपरिपक्व होते है। हम ने जो कान्स्टीट्यूशन बनाया है जिस की यहा शपथ लेते है उसके आर्टिकिल 326 मे सब से पहले हमने एडल्ट फ्रेंचाइज को माना है। शब्द एडल्ट ध्यान देने योग्य है। इसमे उन्होंने 21 साल अवश्य रखा है। 1947 मे ऐसा परिस्थिति हो सकता है, लेकिन 1947 से 1974 तक कितना पानी निकल गया और अपरिपक्वता की बात कह कर 18 साल के युवक को जो 1947 की जनेरेशन के स्थान पर सब मामला मे बहुत ज्यादा परिपक्व है, वोट देने का अधिकार न देना ठीक नही होगा। मैं उस को पढ़ना चाहूंगा

The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage, that is to say, every person who is a

citizen of India and who is not less than 21 years of age.

तो सब से पहले एडल्ट की बात की गई। एडल्ट की बात केवल यहीं पर नहीं मानी है, हिन्दू मैरिज ऐक्ट के लिए मानी है, इंडियन मजारिटी ऐक्ट में मानी है, प्रापर्टी लेने और देने के मामले में, कांट्रक्ट करने और कांट्रक्ट तोड़ने के मामले में सब में एडल्ट को ही रखा है और उस में सब में 18 साल की आयु है। तो और तमाम कामों के लिए 18 साल की उम्र में लड़का बालिग हो जाता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार 21 साल में रखा जायगा ?

जहां तक परिपक्वता और अपरिपक्वता की बात है तो 18 साल की उम्र चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, वे परिपक्व बुद्धि के हो सकते हैं और 80 साल में भी अपरिपक्व बुद्धि के हो सकते हैं। मैं अपने बहुत से माननीय मंत्रियों के नाम नहीं लेना चाहता जो 66 और 67 साल के हैं लेकिन अपरिपक्व हैं, रोजाना उनके निर्णय बदलते हैं। आज एक बात कहते है, कल उसे बदलना पड़ता है, प्रैस में स्टेटमेंट देना पड़ता है। यह अपरिपक्वता का परिचय नहीं है, तो क्या है ?

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) . अपोजीशन की तरफ से रोज होता है।

श्री राम रतन शर्मा : जी नहीं, शुक्ला जी ने मेरी बात को ध्यान में रखा नहीं। अब यहां बैठने वाले लोग---

सभापति महोदय : अपने बोलने में, अपरिपक्वता का परिचय कम से कम न दें।

श्री राम रतन शर्मा : मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि इधर बैठने वाले अपरिपक्व हैं और उधर बैठने वाले अपरिपक्व हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि 18 साल का आदमी परिपक्व हो सकता है। और 80 साल का आदमी भी अपरिपक्व हो सकता है। इसलिए मेरे लायक दोस्त डा० कर्णी सिंह जो कह रहें थे कि 18 साल में वे अपरिपक्व होते हैं, यह बात सही नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज हर बात में वे कितने ऐडवांस्ड हो गए हैं। कितनी सही बात है ? चन्द्रमा पर पहुंच गए, विज्ञान इतना बढ गया, कला इतनी बढ गई। हर एक चीज में व परिपक्व होते जा रहें हैं। आज जो 18 साल का युवक होता है उसका मानसिक विकास ज्यादा हुआ होता है।

इस अमेंडमेंन्ट के द्वारा डा० पाडेय ने यह नहीं कहा कि वे असम्बलीज में या संसद में जाने लगगें। उस के लिए अलग प्रावधान है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : जब कांस्टीट्यूशन में प्राविजन आ जायगा तो उस के लिए भी ला सकते हैं कि विधान सभा और पालियामेंन्ट में भी वे आ सकते हैं।

श्री राम रतन शर्मा : यही पर माननीय सदस्य मूलभूत गलती कर रहें हैं। आज भी कांस्टीट्यूशन में वोटिंग एज 21 साल है लेकिन एलेक्शन में खड़े होने के लिए 25 साल है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : कल रेप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट में भी उसी के तहत संशोधन कर सकते है, उस को चेंज कर सकते हैं।

श्री राम रतन शर्मा : अभी उस की बात हम नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : वह तो जो लाजिकल स्टेप होगा वह लिया जायगा। उस में कौन सी बड़ी बात है ?

श्री राम रतन शर्मा : मेरा प्वाइंट यह है कि आज हम केवल वोट देने की उम्र के बारे में बात कर रहें हैं। आज सम्पूर्ण देश का नवयुवक जब 18 वर्ष का हो जाता है तो वह गंभीरता से हर बात को लेता हैं, राजनैतिक परिप्रक्ष्य में हर बात को देखता हैं, अपने देश की स्थिति को समझता हैं। उस स्थिति

[श्री राम रतन शर्मा]

को समझ कर किस तरह के आदमी वह विधान सभाओं में या संसद में भेजे, किस तरह के आदमी पंचायतों में भेजे, कैसे उनका निर्वाचन करें, इसका निर्णय करता है। तो उस को उस में हक दीजिए, उसकी उस मे एक यूनिट बनाइए ताकि अच्छे और बुरे का निर्णय जल्दी हो सके, ताकि वह जो पहले से बिग शाक्स बैठें हुए हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा मैं वैसा नही कहना चाहता, क्यो कि उम्र के लिए मेरे अदर बहुत आदर है जो वृद्ध हैं, वयोवृद्ध है, उन्होंने अपने सामने बहुत जमाना देखा है, फीडम के लिए फाइट किया है लेकिन इसी बात पर कि फीडम के लिए उन्होंने बहुत फाइट किया है, छोटे लोगो का अधिकार मत मारिए। अच्छी तरह से इस बात को फिर से सोचिए, समझिए और 18 साल के लिए समर्थन दीजिए, इस बिल को पास कीजिए। अगर मंत्री महोदय चाहते है कि इस के लिए वह सोच समझ कर एक अच्छा बिल लाए तो उस बात को सामने कहे ताकि हम लोग उसे सोचे समझे।

श्री बी० आर० शुक्ल सभापति जी, बहुत सम्मान के साथ मै श्री पाडेय जी की इस विधयक का विरोध करता हू। यह ठीक है कि युवक मे आदर्श और उत्साह है। उसमे इस बात की तमन्ना है कि समाज की कुरीतियो को, समाज के असतुलित ढाचे को बदल दिया जाय और यह तमन्नाएं केवल युवक का ही विशेषाधिकार नही है, जो लोग वृद्ध है, वयोवृद्ध है। समाज की समस्याओ के ऊपर सतत मनन और चिन्तन कर रहे है वे भी समाज को बदलने के लिए उतने ही उद्यत और उत्सुक है जितना कि एक नौजवान है।

एक माननीय सदस्य उनका खून ठण्डा है।

श्री बी० आर० शुक्ल . यह जरूर ठण्डा है। मगर युवक की परिपक्वता केवल इसी पर आधारित नही होती है कि उस ने विज्ञान की अच्छी किताबें पढ़ी हैं, उसने अच्छा से अच्छा साहित्य पढा है, लेकिन ससार का अनुभव भी उनके आदर्शों को वास्तविकता का स्वरूप प्रदान करता है। यहा तक कि बडे बडे जो प्रोफेसर होते है जो दिन भर किताबी शिक्षा देते है, लेते और रिसर्च करते है, वे जब जीवन के प्रागण मे उतरते है तो उनको कोई दूसरी ही दुनिया बदलती हुई नजर आती है। आप देखे, इसी सदन के अन्दर बहुत बडे बडे आकडे पेश किये जाते है जो अर्थ शास्त्रियो की खोज पर आधारित होते है। उनको कहा जाता है कि ये सब वास्तविकता मे परे। मेरा विरोध इस बात पर है कि युवक—जहा उस मे बुद्धि है, जहा उस मे आदर्श है, जहा उस मे समाज को बदलने के लिये, नया स्वरूप देने के लिये उत्साह और उमग है इनके साथ साथ उसमे आवेश भी है, उसमे बडी भारी उद्वेग है, उसके प्रवाह मे वह कभी कभी ऐसा बहता है जैसे एक भेड के पीछे हजारो भेडे बुद्धि को तिलाजलि देकर भागती है। मै यह नही कहता कि उन के अन्दर जो आदर होना चाहिये, उसके प्रति वे उदासीन है। लेकिन आज आप देखें—विश्वविद्यालयो मे क्या हो रहा है। आज आन्दोलन इस बात के लिये होता है कि बगैर परीक्षा दिये हर आदमी को पास कर दिया जाय 90 फीसदी लडके यही चाहते है कि बगैर इम्तिहान दिये उनको डिग्री मिल जाय। ये लडके कहा पढते है—कोई एम० ए० मे पढता है, कोई बी० ए० मे पढता है। नकल करने की प्रवृत्ति को देखे—चाकू, छुरा, देसी पिस्तौल लिये हुए परीक्षा स्थल मे जाते है और इन्विजिलेटर को कहते है कि हम तुम्हे मार डालेंगे—यह सब बात आप जानते है। लेकिन दर्शक-दीर्घा को प्रभावित करने के लिये, निर्वाचन मे युवको के उत्साह का शोषण करने के लिये आप इस बिल को यहा लाये है। इस मे आप युवको का कल्याण करने नही जा रहे है। युवक हमारे और आप के बाल-बच्चे है, हम सब चाहते है कि वे अच्छी से अच्छी शिक्षा लें, योग्य बने, लेकिन क्षमा करें—यह झण्ड की मनोवृत्ति. .

श्री पी० जी० मावलंकर (ग्रहमदाबाद) आप हमारी नीयत पर शक क्यों कर रहे हैं ?

श्री बी० ग्रार० शुक्ल गुजरात को ले लीजिये, गुजरात मे क्या हुआ ? वहा एक नव निर्माण समिति बनाई गई, वहा की विधान सभा भग हो गई। उस आन्दोलन का सक्रामक प्रभाव यह पडा कि दूसरी जगह भी नव निर्माण समिति बन गई। याद रखिये किसी दिन अगर गजे को नाखून मिलेगा, तो वह खुजली आप को भी खुजलानी पडेगी। देश मे अगर गलत प्रथाये, गलत परम्पराए, गलत उदाहरण उपस्थित किये जायगे तो उनका परिणाम सारे देश को भुगतना पडेगा, इस लिये हम को और आप को एक सतुलित बुद्धि से, सुनियोजित विचारधारा से सोचना चाहिये।

आप कहते है कि अणु बम बन गया, नई नई बात हो रही है, तो इन को पीछे क्यो रखा जाय आप अणु बम का उदाहरण क्यो देते है, हमारे देश मे श्री शुकदेवजी महाराज ने 7 वर्ष की अवस्था मे 18 पुराणो पर, अधिकार कर लिया था। हमारे देश मे अकबर बादशाह ने 12 वर्षों की अवस्था मे सेनापतित्व का भार सभाल लिया था। मैं यह नही कहना चाहता हू कि सफेद बाल होने से बुद्धि का विकास होता है या काले बाल होने से, या सफेद बालो को रक लेने से बुद्धि रूक जाती है। मैं मनोवृत्ति और भावना को लक्ष्य कर रहा हू। युवक—जहा उस से बडे बड गुण है, वहा वह भावना से इतना ओतप्रोत क्यो होता कि जब वह उस के प्रवाह मे बहने लगता है तो उस का सतुलन टूट जाता है, उसका सयम खो जाता हैं और वह निष्पक्ष रूप से समाज और देश की समस्याओं के ऊपर विचार नही कर पाता हैं। वही लडके जब न्याय नही मिलता है और कालिजो मे पढ रहे होते है तो जा कर यूनीवर्सिटी का रिकार्ड जलाते हैं। लेकिन वही लडके जब घर मे अपना कारोबार सभालते हैं और कोई उन की एक बकरी उठा ले तो उसे तलवार से मारने के लिये तैयार हो जाते है। इस लिये जीवन के अनुभव का बड़ा महत्व हैं, उस अनुभव को उसे इन तीन सालों में प्राप्त कर लेने दीजिये, तब उस को मताधिकार दीजिये इस पर गम्भीरता से विचार कीजिये, केवल इधर-उधर की बातो और समय की भावनाओ के आवेश मे आकर न वह जाइये। इस पर पहले भी काफी विचार हो चुका है और अनेकों बार उत्तर भी दिये जा चुके है।

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) · सभापति जी, सब से पहले तो यहा पर जो उम्र की बात उठी है, उसके लिये मैं प्रो० वी० के० आर० वी० राव को बधाई देना चाहता हू, क्योकि उन्होने पिछले दिनो जब उन का भाषण हुआ था, डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी के इस विधेयक का समर्थन किया था और मैं उम्मीद करता हू कि प्रो० राव से कम उमर के हमारे विधि मत्री जी जो सामने बैठे हुए हैं, उनको प्रो० राव से प्रेरणा मिलेगी।

सभापति जी, आज से 20 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी मे पढने गया था, तब से हम लोग इस माग को उठा रहे है ——

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : मिश्र जी, मत्री जी की उमर से प्रो० राव की उमर 10 साल कम है।

श्री जनेश्वर मिश्र तब तो मैं कहूगा कि इन कि जगह दूसरे मिनिस्टर जवाब देने आये, तब कोई ठीक रास्ता निकल आयेगा।

मैं कह रहा था कि 20 साल पहले हम ने इस माग को उठाया था। मुझे याद है उस समय सब लोग कहते थे कि यह बचकाना माग है। लेकिन दुख यह है कि 18 साल की उमर शादी के लिये ठीक मानी जाती है, पल्टन मे भरती होने के लिये ठीक हैं, देश के लिये गर्दन कटाने के लिये 18 साल की उमर ठीक है, लेकिन देश के लिये कानून बनाने के लिये 18 साल की उमर नाकाफी कही जाती है।

जब देश का सविधान बन रहा था, उस समय ज्यादातर नकलची सविधान बन रहा था, बह गोरे मुल्को के सविधानो की, कौमा, फुलस्टाप, के साथ नकल की जा रही थो, उस समय हमारे सविधान निर्माताओ के ध्यान मे यह बात नही गई कि जिन मुल्को के सविधानो की हम नकल कर रहे थे, व ज्यादातर ठण्डे मुल्क थे और ठण्डे मुल्कों मे आदमियो के ज्ञान-तन्तु और शरीर का विकास दोनो देर से होता हैं, जबकि गरम मुल्कों मे छोटे बच्चों के चेहरे पर मूछे आ जाया करती है, जवानी के निशान आ जाया करते हैं और उनकी बुद्धि का और शरीर का विकास जल्दी होता है। चूकि उन मुल्को मे आयु 21 साल थी, इस लिये हमने भी 21 साल मान लिया, हालाकि अब तो उन मुल्को ने भी 18 साल को मान लिया है। अब हम इस लिये यह माग नही कर रह है कि हम उन की नकल करे, बल्कि सच्चाई यह है कि 24–25 साल की उम्र के बाद यह तो ठीक है कि उस को तजुर्बा हो जाता है, लेकिन वह समाज की, परिवार की जिम्मेदारियो मे इतना फस जाता है कि उस के बचपने के समय मे उस के मन मे जो आदर्श हुआ करते थे—समाज बनाव के, दुनिया बनाने के, घर बनाने के, व आदर्श टूट जाया करते है—यह हकीकत है।

इस लिये, सभापति महोदय, यह जरूरी है कि 18 साल की उम्र को मान लिया जाय। यह सोच कर नही कि जनसघ के किसी मेम्बर ने इस विधेयक को यहा पर रखा है या यह विरोध पक्ष द्वारा रखा गया है, बल्कि राजनीतिक स्तर से ऊपर उठ कर इस को स्वीकार करना चाहिये। चलिये, आप इस को आज न माने, दो-चार महीने बाद इस को ले आये, लेकिन इस को स्वीकार करना चाहिये। यह आज के नौजवान की माग है और दुनिया मे जहा वोट के जरिये हुकूमत चलती है, सब जगहों पर 18 साल की उम्र को माना जाने लगा है।

आज यहा यह कहा जा रहा है कि 18 साल के आदमी की बुद्धि अधकचरा रहती है। मैं यह मान कर चलता हू कि जिस की बुद्धि 18 साल मे अधकचरा रहती है, उस की बुद्धि 58 और 60 साल मे भी अधकचरा रहती है। अभी यहा कहा गया कि 18 साल के लडके जब यूनीवर्सिटी और कालिज की यूनियन का चुनाव करने जाते है या परीक्षा देने जाते है तो अपने साथ छुरे लेकर जाते है। ऐसा लगता है कि जैसे पार्लियामेंट के चुनाव मे छुरे और पिस्तौल नही चलते है। अगर पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव से छुरे और पिस्तौल चल सकते है तो क्या पार्लियामेन्ट और असेम्बली के चुनाल रूकवा देना चाहिये? अगर 21 साल का वोट देने वाला छुरा, पिस्तौल, बम रख सकता है तो हमारे लडके अगर छुरा, पिस्तौल लेकर यूनियन के चुनाव लडते हैं या परीक्षा देने जाते है, तो इस के लिये आप उन को दोष न दीजिये, उन को ये सब चीज आप से मिली है, यह बुद्धि आप ने उन को दी है। हमारे मुल्क की सब से बडी बदनसीबी यह है कि जो जहा बैठ जाता है, उस कुर्सी को खोना नही चाहता। यह सिर्फ राजनीति मैं ही नही हैं, कला के मामले मे, दर्शन के मामले मे, जो जहा हावी हो जाता हैं, बैठ जाता है,

16 hrs.

सारी दुनिया को सर्मन देने लगते है कि तुम इसमे मत आना। लड़को से कहा गया राजनीति से दूर रहो तुम्हारा काम पढ़ना है। मास्टर से कहा गया तुम्हारा काम पढाना है। तुम राजनीति से दूर रहो। किसान से कहा गया तुम्हारा काम हल चलाना है तुम राजनीति से दूर रहो। मजदूर से कहा गया तुम्हारा काम कारखाना चलाना है पुर्जा-चलाना हैं इसलिए तुम भी राजनीति से दूर रहो। यह एक प्रवृत्ति है जो बहुत खतरनाक है। फिर कौन राजनीति करेगा? थोड़े से एम० पी० और एम० एल० ए० थोड़े से

लड़ने वाले और उनको चुनने वाले लोग ? मैं इशारा करना चाहता हूं हिन्दुस्तान की पुरानी तहजीब के बारे में पुराने जमाने में हमारे यहां कलायें आसमान पर थीं और उस समय हमारे भगवान भी नाचा करते थे, भगवान के बड़े बड़े भक्त नाचा करते थे। बड़ी अच्छी थी कला नत्य कला, प्रदर्शन — साहित्य सभी कुछ दुनिया के गोरे मुल्क उस वक्त पिछड़े हुये माने जाते थे, जंगली माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वह कला थोड़े से लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई, बाकी लोग उससे अलग हो गए। कोई भी बढ़िया चीज जब एक जगह सिमट कर रह जाती है तो उसमें सढ़ांध आ जाती है, उसमें विकृति आ जाती है। पहले जो कला होती थी जैसे नृत्य कला है तो शरीर के जितने मोड़ हैं उनको जितना बढ़िया आप मोड़ लीजिये उतनी ही बढ़िया वह कला मानी जायेगी नत्य में। जब वही कला विकृत हो जायेगी तो केवल मुह मटकाने और आंख नचाने तक ही सीमित हो जायेगी। आज यही हुआ कि उस कला, जिसमें कभी हमारे शंकर नाचा करते थे जिनकी लोग पूजा करते हैं, उसी कला का कोई माहिर अगर सड़क पर जाता है तो बड़े से बड़े रईस से लेकर खोमचे वाले तक कहते है कि कोई नाचने वाला जा रहा है यानी गन्दा आदमी जा रहा है। तो जब कला विकृत हो गई तो समाज ने भी उससे नफरत कर लिया। दुनिया के वह मुल्क जो हमसे पिछड़े हुये थे वहां भी नाच होता है और हमारे यहां भी नाच होता है जब हमारे यहां नाच होगा और जब नाचने वाला स्टेज पर आवेगा तो बाकी लोग चुप-चाप देखते रहेंगे। हद से हद जब पूरे जोर पर नाच जायेगा तो सिर हिला दिया करेंगे। दुनिया के और मुल्कों में जो नृत्य कला में हमसे पीछे थे बाकी हुनर में हमसे पीछे थे जब वहां पर नाच पूरे जोर पर होता है तो जितने भी लोग देखते रहते हैं वह सभी खड़े होकर स्वयं नाचने लगते हैं। तो यह है कला की हिस्सेदारी जिसमें सार्वजनिक हिस्सेदारी होती है। ऐसी स्थिति में वहां की कला में बदबू नहीं आयेगी, विकृति नहीं आयेगी।

ठीक इसी तरह से सन 1947 के पहले खद्दर का कुर्ता और धोती पहन कर अगर कोई आदमी सड़क पर जाता था तो आम आदमी अंग्रेज के डर के मारे भले ही उससे बात न करे लेकिन सड़क पर जाते हुये आदमी की तरफ इज्जत से सिर झुका दिया करता था। लेकिन आज वही आदमी खद्दर का कुर्ता धोती और टोपी पहन कर सड़क पर चला जाये तो आम आदमी चाहे बड़े से बड़ा रईस हो या खोमचे वाला हो वह डर के मारे उसके सामने भले ही गिड़गिड़ा कर बात कर ले लेकिन अपने मन में बोलता है कि कि जरूर कोई चार सौ बीस करने वाला राजनेता जा रहा है। यह सभी लोगों के बारे में राय बन गई है लेकिन इसकी क्या वजह है? आपने इन 27 सालों में सभी से कह दिया कि तुम राजनीति से अलग हो जाओ। इस तरह थोड़े से हाथों मे सिकुड़ कर चली गई वह राजनीति विकृत हो गई इसके अलावा और कुछ नही है। इसलिए अगर राजनीति की सफाई करनी है तो जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी हो। और तब में कहूंगा कि 18 से 21 साल की उम्र के बहुत ज्यादा तादाद में जो लोग है उनकी आप राजनीति मे हिस्सेदारी दीजिये।

इतना ही नही, इसके साथ साथ और भी बहुत सी बातें हैं। नयी उम्र का जो आदमी होता है उसकी कल्पनायें अलग हुआ करती है, उसके सपने अलग हुआ करते हैं समाज बनाने के बारे मे। मैं समझता हूं इन कल्पनाओं और सपनों को हम अगर साकार करना चाहते हैं, तो पुरानी उम्र के लोगों को थोड़ा उदार होना चाहिए, उनके मन में कुंठा नही रहनी चाहिए। सारी दुनिया में उम्र रोग लगता है लेकिन हमारे यहां कुछ ज्यादा लगता है। लेकिन मैं इतना ही चाहूंगा कि नयी उम्र के लोग राजनीति में आने लगे। आप उनको

अपनी मर्जी से लाइये । जब बहुत ज्यादा लोग बात कहने लगते है तो हमारे देश के आदमी के मन मे आता है कि नयी उम्र के लोग खुद राजनीति मे आये, राजनीति मे केवल कुर्सी नही है, राजनीति केवल चुनाव नही है, राजनीति केवल कुर्सी पर बैठना नही है बल्कि राजनीति समाज की तबीयत, समाज की तहजीब और समाज की तरक्की के लिए एक सपना भी है और राजनीति एक धर्म भी है। मै कहूगा इस बढ़िया चीज के लिए नौजवानो को आने दो । आप नौजवानो को लाते है, लाये भी थे । अभी आपकी कोई रैली हुई थी, लगता था कोई दरबार लगा हुआ है, दिल्ली दरबार जैसा । उसमे नौजवान आये थे और उसके आपने किस्से भी सुने है । बाकी नौजवान लायेंगे तो उनके किस्से भी सुनने को मिलेंगे । एक तरफ आपका दिल्ली दरबार 9 अगस्त को यहा लगा और दूसरी तरफ उन्ही तारीखो मे भागलपुर मे और दूसरी जगहो पर नौजवानो पर लाठिया चलती रही, गोलिया चलती रही जेल के भीतर। यह दोनो किस्से अपनी जगह पर हैं। यह दो विपरीत धाराए है। आज देश हलचल के माहौल मे गुजर रहा है। सन 1947 के पहले गाधी जी की रहनुमाई मे नयी उम्र के लोगो ने सपना देखा था कि अग्रेजो के चले जाने के बाद बढिया किस्म की उनको तालीम दी जायेगी, बढिया किस्म की रोजी दी जायेगी लेकिन अग्रेजो के चले जाने के बाद इस मुल्क की गद्दी पर बैठे हुये लोगो ने कहा कि अभी पाकिस्तान का बटवारा हुआ है थोड़े दिन सब्र से काम लो। उसके बाद 27 साल हो गए सब्र से काम लेते लेते आज नौजवान सड़क पर निकल कर आ गया है । आप कहते है नक्सलाइट हो गया है, आप कहते है जयप्रकाश नारायणजी ने उनको गुमराह कर दिया है। लेकिन यह कुछ नही है, आपने उसको गुमराह कर दिया है । वह लडका अगर छुरा लेकर इम्तहान मे जाता है, वह लड़का अगर इम्तहान के हाल मे आग लगा देता है तो मैं आपसे कहूगा कि गाधी जी की रहनुमाई मे आपने 1947 के पहले नौजवानो से कहा था कि नौजवानो देश की राजनीति में हिस्सा लो और अग्रेजो को भगाओ अग्रेज जायेगा तो तुम्हारी पढ़ाई दुरुस्त होगी लेकिन उसकी पढाई दुरुस्त नही हुई, उसको कोई काम नही मिला और देश की गद्दी मे उसको हिस्सा नही मिला। 27 साल तक आप उनके सपनो मे आग लगाते रहे क्या आप गुनहगार नही है ? उसने अगर इम्तहान के मामूली से पर्चे मे आग लगादी तो उसका बहुत बडा गुनाह हो गया। मै कहूगा अगर आप मौजूदा हालात का मुकाबला करना चाहते है तो गोली से नही, लाठी से नही, 9 अगस्त की रैली से नही बल्कि नौजवानो को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दीजिये, राज-काज मे हिस्सा दीजिये, यूनिवर्सिटी और कालेज मे हिस्सेदारी दीजिये और ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी दीजिये। जैसा मैने पहले बताया जब आम हिस्सेदारी हुआ करती है, चाहे वह राजनीति हो, शास्त्र हो, दर्शन हो या कला हो तो वह विकृत होने से रुक जाया करती है । हिन्दुस्तान की मौजूदा सडी हुई राजनीति को और ज्यादा विकृत होने से रोकने के लिए जरूरी हो गया है कि नयी उम्र के आदमी जिसका खून ताजा होता है, बढिया होता है वह ज्यादा से ज्यादा उसमे हिस्सा ले ।

इन शब्दो के साथ मै आप से आखिर मे अर्ज करूगा कि हठवादिता मत कीजियेगा वरना इतना जरूर याद रखियेगा, दिनकर की एक लाइन मुझे ठीक याद नही है उन्होने यही कहा था —गद्दी खाली करो कि जनता आने वाली है—मै "जनता" न कहकर कहूगा—गद्दी खाली करो कि युवजन आने वाला है । अगर हठवादिता करेंगे तो नौजवान आपकी तरफ बढ़ रहा है, अगर कायदे से उसका हक नही देगे तो मै नही समझता वह अपने हाथ से ही अपना हक नही ले लेगा । इसलिए मै आपसे कहूगा कि पाडे

जी ने जो विधेयक रखा है उसको आप स्वय अपना विधेयक रखिए, हम विरोध पक्ष में बैठने वाले आश्वासन देते हैं उस विधेयक को हम पास करेंगे । यदि आप के मन में कुंठा हो कि किसी विरोधी या प्राईवेट मेम्बर ने विधेयक रख दिया है इसलिए हम कैसे इसको पास दे तो 5–10 दिन बाद अपना विधेयक आप ले आइये । वैसे मुझे याद है प्रीवी पर्स के सम्बन्ध में विरोध पक्ष के लोगो ने जो विधेयक रखा था उसको आपने गिरा दिया था और उसके 15 दिन बाद वही विधेयक अपनी तरफ से ले आये थे । मैं चाहता हूं आपको सद्बुद्धि आये और आप इस विधेयक को पास करे—आज करे या दस दिन बाद करे लेकिन जरूर पास करे । इन शब्दो के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हू ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजमाबाद) : सभापति जी, मैं पहले सदबुद्धि के बारे मे कुछ कहना चाहता हू । अगर सद्बुद्धि की कही जरूरत है तो वह विरोधी दलो मे ही ज्यादा होनी चाहिए । विरोधी दल के एक नेता इस विधेयक को लाये हैं इसके लिए मैं उनको बधाई देता हू इस वास्ते नही कि वे एक अच्छा विधेयक लाये है बल्कि इस वास्ते बधाई देना चाहता हू कि कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सभी लोग उनके गुण गान कर रहे है । तो इस हदतक मैं उनको बधाई देना चाहता हू लेकिन यह 18 साल के बच्चे सिर्फ वोट ही देना चाहते है या कुछ पढ़ना-लिखना भी चाहते हैं । आज हम एटामिक एज मे हैं इसलिए मैं चाहता हू हमारे यहा हर 18 वर्ष का बच्चा साइंटिस्ट बनने को कोशिश करे । मैं आज विरोधी दलो की तरफ इशारा करके बताना चाहता हू कि आज अपने देश मे जो अनएम्प्लायड लोग हैं उनकी कोई भी फिक्र उनको नही है । हमारे देश मे अनएम्प्लायड लोगो को विरोधी दलो ने पैदा किया है जो किसी काम के नही है । इतने स्कूल कालेज, मेडिकल कालेज, टेक्निकल कालेज खोले गए, वहां पर उनको पढ़ाया लेकिन यह लोग उन बच्चों का मन उन स्कूलों की तरफ न जाने देने की कोशिश कर रहे हैं । पूरी जिम्मेदारी विरोधी दलो पर है । बच्चे पढ़ना चाहते हैं । वे वोट देना नहीं पढना चाहते हैं । वोट देने का अधिकार 21 साल के बच्चो को दिया हुआ है । क्या जो 18 साल के हो गए हैं वे तीन साल और इन्तजार नहीं कर सकते हैं ? 18 साल का बच्चा आज वोट देना नही बल्कि पढना चाहता है । मिश्र जी ने कहा कि नवयुवक बाजार मे निकल पड़ा है । हमारा तजुर्बा यह बताता है कि सौ मे से एक ही बच्चा इस विषय का है जो बाजार मे निकल पड़ा है और जो पढना नही चाहता है । पाच लाख बच्चे अगर हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि पाच हजार बच्चे ऐसे हुए । यह बात ठीक नहीं है कि पाच हजार बच्चे पूरी तालीम को, यूनिवर्सिटी को, स्कूल को सब को बरबाद कर सकते हैं । सौ में एक बच्चा भी अगर गुंडा निकल जाए तो वह गुंडा सारे समाज को तहसनहस कर सकता है । हमारी बदकिस्मती है कि आपोजीशन वालों को सौ मे से एक बच्चा भी मिल गया है और उस को ले कर सब जगह प्रचार कर रहे है कि बच्चे यह चाहते हैं । मैं समझता हू कि देश का जितना नुकसान हुआ है, जितनी बरबादी हुई है और जिस मे नवयुवको का हाथ रहा है उसकी ज्यादा तर जिम्मेदारी मिश्र जी जैसे सदस्य पर है ----

श्री जनेश्वर मिश्र : रेल मे बैठ कर बोतले खाली कर रहे थे ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : थोड़े बच्चे ऐसे भी आ घुसे जो जनसंघ और आर एस एस के थे या मिश्र जी के लोगों की तरह के लोग थ । चावल कितना भी अच्छा बना हुआ हो एक आध ककड़ जरूर उस मे आप निकाल ही लेंगे । बदनाम

करने के लिए सैंकड़ो हजारों लोगों की जरूरत नहीं होती है, सैंकड़ों हजारों में एक आदमी भी सब को कलंकित कर सकता है। हमारी बदकिस्मती है कि उन बच्चों में उनके ख्यालात वाले बच्चे भी शरीक हो गए और उन्होंने गड़बड़ी मचाई और कांग्रेस की रैली को बदनाम करने की कोशिश की। यह प्रीप्लांड था। इस चीज़ का सहारा ले कर अपोजीशन की तरफ से पूरी की पूरी बदनामी कांग्रेस के ऊपर थोपने की कोशिश की गई है।

मैं समझता हूं कि 21 साल बिल्कुल ठीक है। 3 साल तक 18 साल वाले इंतजार कर सकते हैं। उनको डाक्टर इंजीनियर आदि बनने की तरफ ध्यान देना चाहिये। किसी ने यह कहा है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति में न आएं आप देखें कि कांग्रेस के लाखों मैम्बर हैं। एक एक स्टेट में दस दस और पांच पांच लाख कांग्रेस के मैम्बर बन रहे हैं जिन में मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, स्टुडेंट भी हैं। मैं अपोजीशन वालों से पूछता हूं कि उनके मैम्बरों की संख्या क्या हमारे मैम्बरों की संख्या के एक परसेंट के बराबर भी है? अब जिस किसी की भी रुचि राजनीति में हो वह राजनीति में आ सकता है। विल्लेज लेवेल, ब्लाक लेबेल से बढ़ कर वह आगे आता जाता है। मैं भी नहीं समझता था कि में पार्लिमेंट का मैम्बर बनूंगा लेकिन मेरी रुचि राजनीति में हुई और में आगे बढा और मैम्बर बन गया। मैं समझता हूं कि जो थोड़े से बच्चे गलत रास्ते पर हैं उनको भी सही रास्ते पर लाया जाना चाहिये, जो गड़बड़ वे कर रहे हैं उनको उस गड़बड़ी वाले रास्ते से हटाया जाना चाहिये। वे अच्छे तरीके से पढ़ें और इसके मा के उनके वास्ते हमने पैदा किये हैं। एटमिक युग में बच्चों को इंजीनियर, टैक्नीशियन और डाक्टर आदि बनना चाहिये और उन में से जिन की रुचि पालिटिक्स में हो वे पालिटिक्स में जरुर आ सकते हैं। पालिटिक्स ऐसा नहीं है जो किसी को ट्रांसफर किया जा सकता हो। लीडरशिप ट्रांस्फर नहीं की जा सकती है। खुद-ब-खुद वह ग्रो होती है। इसके लिए थोड़ा बहुत बुद्धि का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तभी आदमी राजनीति में आगे बढ़ता है।

मैं इस बिल का पूरा विरोध करता हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जनसंघ, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट आदि सब लोग इनका साथ दे रहे हैं और इस की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं इसका पूरा पूरा विरोध करता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी गढ़वाल) : हमारे एस एस पी के माननीय सदस्य ने भाषण के शुरु में डा० वी० के० आर० वी० राव की बड़ी प्रशंसा की। किन्तु उनका भाषण कंट्रेडिक्शंज से भरा पड़ा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया उस में। वास्तविकता यह है कि एस एस पी जो है वह न संयुक्त है न सोशिलिस्ट है और न ही पार्टी है उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। वह कांग्रेस को गालियां दे रहे है। किन्तु ------संविद सरकारें चला करके जो प्रतिक्रियावादी काम उत्तर प्रदेश में उन्होंने किए वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। इस बिल का उन्होंने समर्थन किया है और कहा है कि यह बड़ी अच्छी बात है। हमारी पार्टी के भी अधिकांश सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। सरकार मानती है या नहीं मानती और क्या कदम उठाती है यह शासन के सोचने की बात है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। यह सही बात है कि 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार नवयुवकों को मिल जाना चाहिए। इस वक्त 21 साल है। इस वक्त के एडल्ट में सचमुच में एडल्ट्रेशन आ चुका है। फिर इस में कौन भेद करेगा कि 18 साल ठीक है या 21 साल ठीक है, 21 साल है तो क्यों, 25 क्यों ठीक नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको अकल नहीं, वोट देना जानते नहीं हैं, उनको

[श्री पूर्णानन्द बहुगुणा]

वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक जमाना था जब स्त्रियों को वोट देने का अधिकार हमारे देश में नहीं था। विकसित कुछ देशों में उनको आज भी नहीं है। लेकिन मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता जो बुद्धिजीवी हैं वे सारी बातें समझते हैं। यह ठीक है 18 साल के युवक को आज वोट देने का अधिकार नहीं है किन्तु वह दूसरों को जिन को यह अधिकार प्राप्त है प्रभावित करता है और उसके प्रभाव में आ कर वे लोग वोट देते हैं नाते रिश्तेदार अड़ोस पड़ौस वाले सारे उससे प्रभावित होते हैं। 18 साल का युवक इस युग में, प्रगतिशील युग में सारी दुनिया देख चुका है। हमारे जमाने में जब हम बच्चे थे तब इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं। आज घर घर में टी० वी० है रेडियो है न जाने क्या क्या है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिये। किन्तु खेद है कि इस निर्विवाद विषय में भी ये राजनीति ले आए हैं। इन्होंने यह कहा है कि हमने देश को गुमराह किया है। अगर हमारी गलती रही है तो विरोधी पक्ष की भी कम नहीं रही है बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि खराबियां पैदा करने में उनकी जिम्मेदारी कांग्रेस से कहीं अधिक रही है। हम संयम और सब्र के साथ सारी बातें सुनते हैं। हम नाजायज लाभ उठाना नहीं चाहते हैं। आपने ट्विस्ट करके गलत तरीके से रख कर गुमराह सदन को करने की कोशिश की है। डा० वी० के० आर० वी० राव का विरोधी दलों के लोगों ने समर्थन करते हुए जिस ढंग से अपनी राजनीति को उलटना चाहा है तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं, यह बहुत अच्छे स्तर की राजनीति नहीं है। सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए हमें अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री दरबारा सिंह (हौशियारपुर): इस बिल को माननीय सदस्य अच्छी भावना से लाए होंगे। लेकिन बोलने वाले जो है ऐसा मालूम पड़ता है कि वे सिवाय प्रोपेगंडा करने के उनका मुद्दा कुछ और नहीं है। अगर कोई कहता है कि 18 साल वाले को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके पीछे क्या बात है, इसको आप देखें। हमारा सिस्टम आफ एजुकेशन जो है वह इतना नाकस है कि उसको बदलने तक की जरूरत है। डिसिप्लिन जितना 6 से 12 साल के बच्चों के अन्दर आ सकता है उतना उसके बाद कभी नहीं आएगा। जिस को हम पिढी कहते हैं छोटे बच्चों की उन बच्चों को हम एजूकेशन दिलवाते हैं जो इनइफीशेंट टिचर्स हैं जिन को खुद पढाना नहीं आता और उनको पढ़ाने के काम में हम ने लगा रखा है। थोडे पैसे देकर कम से कम पढ़े लिखे लोगों को हम टीचर बनाकर स्कूलों में भेज देते हैं और जिस प्रकार की विद्या 6 और 12 साल के दरम्यान वाले बच्चों को मिलनी चाहिए, उस प्रकार की विद्या उनको मिल नहीं रही है। इस के नतीजे के तौर पर वे इनडिसिप्लिण्ड भी होते हैं और विद्या भी हासिल नहीं कर पाते हैं। इस तरह हमारे नौजवानों का एक सही और मजबूत बेस नहीं बनता है, जिस के नतीजे आगे के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारे स्कूलों में डिसिप्लिन हो और हमारी एजूकेशन जाब-ओरियंटिड हो। आज हालत यह है कि हमारे नौजवान अठारह बीस साल तक पढ़ने के बाद आवारा फिरते हैं। इस तरह आपोजीशन वालों को उन्हें एक्सप्लायट करने में आसानी होती है और वे उन्हें नक्सलाइट्स के रास्ते पर ले जाते हैं।

एजूकेशन से कास्ट सिस्टम टूट सकता है लेकिन अभी तक हम उसको नहीं तोड सके हैं। स्कूलों में अलग अलग क्लासिज के बच्चों के साथ डिफरेंशेशन किया जाता है। स्कूलों में नेशनल इनटेग्रेशन की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूं कि हमें इस किताबी नालिज को एक तरफ फेंक देना

चाहिए क्योंकि वह हमें कहीं नहीं ले जाने वाला है। हमें एजूकेशन के सही मकसद को प्रैक्टिकल शेप देना चाहिए।

हमारे कांस्टीट्यूशन में यह भी डिसक्रैपैन्सी है कि जब 21 साल का आदमी वोट रहो सकता है तो फिर वह खड़ा क्यों नहीं हो सकता है। इस डिसक्रैपैन्सी को भी खत्म करना चाहिए। श्री मिश्र नये नये आये हैं। उनमें जोश बहुत है लेकिन जोश के साथ होस भी होना जरूरी है। जिन मैम्बरान ने इस बिल की मुखालिफत की है उन्होंने यही कहा है कि जोश के साथ होश भी होना चाहिए। मैं इस बिल की मुखालिफत नहीं करता हूं।

आज हमारी फिल्मों में लड़के-लड़की की शादी और चोरी डकैती के अलावा क्या दिखाया जाता हैं। लड़का और लडकी पहले अजनबी होते हैं वे मिलते हैं और फिर उन की शादी हो जाती है, सिवाये इस के फिल्मों में और क्या दिखाया जाता है? इस लिए फिल्मों में भी मुनासिब तबदीली करनी चाहिए। बहुत अर्सा पहले मैंने चायना की एक पिक्चर देखी थी जिसमें दिखाया गया था कि लैंडलार्डिज्स को कैसे खत्म किया गया पहले कैसे लड़कियों को रेप किया जाता था और कैसे उस को खत्म किया गया कैसे सफाई की गई। पच्चीस तीस साल के बाद आज भी मेरे दिमाग पर उस पिक्चर का असर कायम है। इस के मुकाबले में हमारी फिल्मों में यह दिखाया जाता है कि चोरी कैसे करनी है, छुरा कैसे मारना है वगैरह इसी लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ये सब जुर्म करते हैं क्योंकि उन को ये सब बात दिखाई जाती हैं।

9 अगस्त की रेली के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वह रैली राइट रीएक्शन वाले लोगों के खिलाफ गई है जो चाहते थे कि हम यह दिखाये कि इन के साथ कोई नहीं है कोई यहां आने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि कुछ इनफिल्ट्रेशन जरूर हुआ है और उन इनफिल्ट्रेटर्ज ने ऐसा काम किया है। लेकिन राइट रीएक्शन को इस रैली से कितनी तकलीफ हुई है, वह इस से जाहिर है कि वे लोग हाउस में चार पांच रोज से इस के पीछे लगे हुए हैं। इस का मतलब यह है कि उन का तिलसम टूट रहा है और लोग राइट रीएक्शन से दूर हट रहे हैं। इस हालत में हमारे ये दोस्त कम्युनल और नान- इकानोमिक प्रोग्राम को लेकर कब तक खड़े रह सकते हैं। मुल्क की इकानोमिक डिफीकल्टीज को दूर करने के लिए उन्हें अपना कोआपरेशन देना चाहिए।

जे० पी० की मूवमेंट का हमें डरावा दिया जाता है। क्या वह कोई नेक काम कर रहा हैं? वह बच्चों को भड़का रहा है कि स्कूल न जाओ इस को तोड़ो। उस को तोड़ो, अगर इन को यह अच्छा लगता है, तो ये उस की तारीफ करें। मेरे ख्याल में यह सब से बुरा काम है। सर्वोदय का काम यह नहीं हैं। मुल्क को बनाने के लिये तामीर की जरूरत है, न कि तखरीब की। इस लिए तखरीब का काम करने वाले की हम कभी भी हिमायत नहीं कर सकते हैं, चाहे उस की कितनी ही इज्जत हो और वह चाहे कितना बूढ़ा या पुराना हो। आज हमारी जो इकानोमिक कन्डीशन्ज हैं, जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे है, उस को देख कर तो हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को एक तरफ रख देना चाहिए और यूथ को खुद आगे आ कर इकानोमिक कन्डीशन्ज को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए।

आखिर इन बातों का क्या मतलब है कि सब पढ़ना बन्द कर दें, घेराव किया जाये, पत्थर मारे जाये, होटलों पर कब्ज़ा किया जाये। ये बातें हमें कहीं नहीं ले जायेंगी। इसलिए हमारे दोस्त बिहार की मिसाल देकर अपने को छोटा न बनायें। वे तख़रीब की तरफ जा रहे हैं। आज मल्क की तरक्की के लिए तामीर की जरूरत है।

[श्री दरबारा सिंह]

जहां तक इस इस्यू का ताल्लुक है, मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह इस को कनसिडर करे और इस के प्रोज एन्ड कान्ज को देखे, तो इस मे से कोई न कोई अच्छा रास्ता निकल सकता है। यह सवाल ऐसा नही है कि इस को थ्रो आउट कर दिया जाये। इस को कनसिडर करने की जरूरत है। इस बिल को डा० पाडेय लाये है जो अपोजीशन मे है। जो कोई भी नेक चीज लाये, हम उस की तारीफ करते है।

SHRI VIKRAM MAHAJAN (Kangra): Mr. Chairman, Sir, this Bill has raised a discussion which,—if I am not using a strong word,—is more akin to what one may term as 'slogan-mongering'.

Now, it is very easy for one to say: Give right of voting to an 18 year old boy or girl. It is still easier to say, give him right to be elected and to be a representative.

Then, the next person will turn round and say. why this should be 18, why not 16, what is wrong with a boy of 16 or a girl of 16. The next man will ask, why can this not be 14 and so on. We should know what is the basis concept behind right of voting and right to be elected which is followed by some of the countries. Of course, a slogan was raised in one of the western countries and I think they have reduced I will come to this later. But so far as slogan-mongering is concerned, there is no end of competition and if one says 18 the other would say 16 and the third one will say 14. And there is no end to competition in slogan-mongering for bringing it to 16 or 14 or even 12.

The basic point which we should remember is this, that our nation wants its youth to have a sense of responsibility and devotion and dedication to work and we must first educate our younger generation. That is the basic point.

Age of entry in most of the university is 18. A person who is less than 17 years is not permitted to sit in the matriculation examination. A boy or a girl who has just appeared in matriculation examination is in the threshold of what you may call 'learning stage'. At that stage, one has to devote himself to the art of learning which will enable him to serve the country and also to make a living for himself and his family. If you permit him to devote himself for political purposes, for a temporary purpose of course, you will succeed yourself. But, in the long run, you will only do disservice to the generation of our country. The objective of the legislation is to have a generation and to make an effort to build that generation which, in the long run, builds up a nation. Therefore, what I submit is that instead of reducing the age you should extend it so that he not only learns the basic methods of building a nation and he should also be able to make a living himself—that is learning the art of living also I have a grievance here. If you lower this age of a person, that does not give him a chance to make a career for himself. That is one of the reasons why today you find more and more of corruption in the country A representative should learn how to make a living for himself and his family. Nobody can be sure whether he will be returned next time in the election. What happens is this. You give a chance to the person in a very early age to get elected. Suppose he loses in the next election. He has nothing to stand on. You have to see that he is resourceful otherwise there will only be corruption. I suggest that you make it a condition for a representative to have a source of living which will enable him to stand in bad times so that he can look after himself. He should have resources for that purpose. That is one reason for the corruption if you encourage reduction in the age of a voter. You should bring a bill and say that unless a person has a source of living either as a farmer or as a professional

man or some other means of living, he should not fight for an election. If you do it, then you will see that corruption in the country will go down. As long as you permit the people who have no other sources of living to come here and if you encourage that, you will find that everyday the corruption will go up And you will never be able to eradicate that at all. The only way to eradicate the corruption in the country is this. You should see to it that the people learn how to make their living for themselves. Only they should come in and not those who have no other source or who are only taking the politics as a career. You should discourage this if a youth or any person comes to politics only for the purpose of making it as his career. It should be his duty to serve his country. He should come here with the object of doing his duty to the country Normally, a man can do his duty only if he has the source will happen to him after the term of will happen to him after five years? He will always think, if he has no other source of income, as to what will happen to him after the term of five years. He will never do his duty to the country.

Therefore, I submit that the age of voting should be such and at that age, a person should be able to start making a living for himself. That should be the age of voting at which he may be able to get himself elected If he has the source of income to make a living for himself and for his family, he knows what is right or what is wrong.

MR. CHAIRMAN: If this is done then only pensioners will be able to come here?

SHRI VIKRAM MAHAJAN: I do not think so. This is an outmoded concept.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Tellicherry): If you do that, then only landlords will come forward here.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: My learned friend, please correct yourself. He is interested in giving slogans. If I come forward with concrete suggestions, he will accuse me that I am supporting the capitalists or I am a reactionary, this and that. What I am saying is this. The people who have the source of living or who have learnt to make a living alone should come in the House so that they do not look forward to this when there is bad time and when they are not returned to the House They should not be thrown on the road if they are not returned. They should be able to make a way of living. If they only depend on the membership of the House, then you will only encourage them to become corrupt—they may not necessarily become corrupt but there is a chance of their becoming corrupt.

MR. CHAIRMAN: Mr. Chandrappan, the hon. Member is not against the age factor. He is only on the point of resource factor.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: That is why if you make a person after thirty to thirty-five years then he would have learnt the art as to how to make a living This will help reduce corruption also. We in this House should not indulge in slogan mongering and ruin the generations one after another We have already done a lot of harm to the coming generations. For heaven sake give constructive suggestions so that the future generations do not say that this generation for their own considerations ruined the nation.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं केवल एक बात अपने उन मित्रों से पूछना चाहता हूं जो 18 वर्ष के नवजवानों को मतदान का अधिकार किसी न किसी बहाने नहीं देना चाहते। अभी अभी माननीय सदस्य महाजन जी ने बताया कि 18 वर्ष अगर उम्र हो जायेगी और उन को वोट देने का अधिकार हो जायेगा तो भ्रष्टा-

[श्री रामावतार शास्त्री]

चार को बढ़ावा मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तो उन्हे वोट देने का अधिकार नही है ;.....

श्री विक्रम महाजन : आप ने समझा नही। मैं ने यह कहा कि 18 साल कर देगे तो उन का ध्यान पालिटिक्स मे चला जायगा और वे अच्छी तरह पढ लिख नही सकेगे, देश की सेवा नहीं कर सकेगे। भ्रष्टाचार के बारे मे मैने कहा था कि जो लोग एलेक्शन लडते है वे अपने खाने पीने का बन्दोबस्त पहले कर ले तब एलेक्शन लडें... (व्यवधान) ....

श्री जनेश्वर मिश्र : क्या उन की प्रधान मंत्री चुनाव लडने जब आई तो उस के पहले उन्होंने अपने खाने पीने का इतजाम कर लिया था, कोई धन्धा करती थी ?....... (व्यवधान).....

श्री रामावतार शास्त्री मैं यह कह रहा था कि जो लोग यह तर्क देते है कि भ्रष्टाचार को बढावा मिलेगा या उन की बुद्धि परिपक्व नहीं होती है, इसलिये वे सही निर्णय या सही बात नही कर सकेगे। इस के बारे में मैं उन मित्रो स यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जब अग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला मेरी तरह का दस वर्ष का लडका कर सकता है और हजारो लाखो नौजवानो ने 16 वर्ष की आयु मे, 14 वर्ष की आयु मे, 18 वर्ष की आयु मे आजादी की लडाई लडी, क्या उस समय उन की बुद्धि इस मामले मे परिपक्व नही थी कि हमारे देश को आजाद होना चाहिये ? बिलकुल परिपक्व थी कि यहा से लुटेरो को जाना चाहिये। उस समय वे ठीक थे क्यों कि गांधी जी थे। शायद आप नहीं थे उस समय, आप रहते तो कहते कि हम तुम को आजादी की लड़ाई मे भाग नही लेने देगे क्योंकि तुम अपरिपक्व हो, तुम विवेक से काम नही लेते हो। लेकिन उन्होने अपने देश की आजादी की लडाई लडी, उस में हिस्सा लिया और दुनिया के तमाम देशों का इतिहास है, छोटे छोटे नौजवान बच्चों ने अपने देश के लिये कुर्बानिया की और उन को आप यह अधिकार नही देना चाहते......

श्री विक्रम महाजन: रूस में क्या उम्र है ?

श्री रामावतार शास्त्री : जहा तक मेरी जानकारी है 18 वर्ष है।

श्री विक्रम महाजन : पार्लियामेंट मे झूठ बोलते है ?... (व्यवधान).... 25 है।

SHRI RAMAVTAR SHASTRI: You do not know that.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: I will bring the book from the library and you will have to apologise.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: It is 18 in Russia and in so many other countries.

MR CHAIRMAN: Mr Mahajan you can go to the library and bring your book.

श्री रामावतार शास्त्री : मै यही कह रहा था कि तरह तरह के गलत तर्क दे कर लोग नौजवानो को इस अधिकार से वंचित रखना चाहते है। हर इलेक्शन मे हम लोग देखते है कि आप उन से काम लेते है, वे आप के लिये, मन्त्रियो के लिये, श्रीमती इन्दिरा गाधी के लिये वोट मागते है अगर उन को वोट मागने का अधिकार है और उस समय उन की बुद्धि ठीक है तो जब वोट देने की बात कही जाती है, तो कहा जाता है कि उन की बुद्धि परिपक्व नही है—यह क्या तरीका है। व वोट माग सकते है, आजादी की लडाई में हिस्सा ले सकते थे और अभी हाल मे आप उन को प्रदर्शन के लिये यहा लाये पर वोट नही दे सकते आप राइट रिएक्शनरीज से लडना चाहते हैं हम भी लड़ना चाहते हूं ठीक है कि हर मामले में मै मिश्रा जी के साथ नही हूं लेकिन बहुत से मामलों मे उनके साथ हू—अगर अकाल की बात हो तो हम सब साथ हैं—दुनिया के बहुत

सारे मुल्कों में 18 साल की आयु को मान लिया गया है, मतदान ा अधिकार दिया गया है—तो यहा उन को ये अधिकार क्यो नही दिया जा रहा है। यहा तरह-तरह की बाते कह कर आज नौजवानो को कसाया जा रहा है—मै आप को बतला देना चाहता हू वे अब चुप नही रहेगे, अपने अधिकारो के के लिये लडेगे।

वे आजादी की लडाई लडने के लिये ठीक थे, आप के लिये वोट मागने के लिये ठीक है, नारे लगाने के लिये ठीक है, देश जो भी बुराई और खराबियां है उन के खिलाफ आवाज उठाने के लिये ठीक है। आप स्वय कहते है कि देश मे बहुत तरह की बुराइया है, उन के खिलाफ लडो, वे समाजवाद का नारा लगा सकते है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड सकते है, लैंड रिफार्म के लिये देहात के नौजवान जान की बाजी लगा सकते है, लेकिन उन का जो सब से बडा अधिकार है, उस अधिकार से अनेका तर्क देकर आप उन्हे अलग रखना चाहते—है क्या यह ठीक है?

पाण्डे जी और उन की पार्टी मे हमारे अनेका मतभेद हो सकते है लेकिन आज उन का यह बिल बहुत मौजू बिल है और बहुत ठीक समय पर आया है। आज हिन्दुस्तान का नौजवान वोट के अधिकार का नारा लगा रहा है, पाडे जी के नौजवान भी नारे लगा रहे है, आप के नौजवान भी नारे लगा रहे है, मिश्रा जी के नौजवान भी नारे लगा रहे है —किसी नौजवान मे भी इस सवाल पर कोई मतभेद नही है। लेकिन आप गद्दी मे चिपके रहना चाहते है, बूढे बूढे लोग आज इन नौजवानो को आगे आने का मौका नही देते। मैं तो इस ख्याल का हू कि दो बार से ज्यादा एक आदमी को पार्लियामैन्ट मे आने का अधिकार नही होना चाहिए, हमे नौजवानो के लिए जगह खाली करनी चाहिए, वे आयेगे तो देश आगे बढ़ेगा, उन के अन्दर ताजा खून है, कुछ काम कर के दिखाने की तमन्ना है।

शुक्ला जी, इस समय यहा मौजूद नही है, वे बोल गये कि 18 वर्ष के नौजवानो को वोट का अधिकार नही मिलना चाहिए। अगले इलैक्शन मे किसी भी नौजवान को उन के लिए काम नही करना चाहिए . . .

SHRI R. V BADE (Khargone): May I point out that in Russia also all citizens, both men and women who have reached the age of 18 have the right to vote with the exception of persons certified....

MR CHAIRMAN: Let him show it to Shri Vikram Mahajan.

श्री रामावतार शास्त्री सभापति महोदय, शासन दल की तरफ से जो भी दलीलें इस बिल के विरोध मे दी गई है, वे गलत है। अब मौका आ गया है, आप नौजवान को रोक नही सकते, आप उन को अधिकार दीजिए, ताकि वे अपने अधिकारो का सदुपयोग कर सकें। आप और हम उन को यह सीख दे कि वे देश मे समाजवाद को मजबूत करने के लिए लडे, राइट रिएक्शनरीज के खिलाफ, सम्प्रदायवाद के खिलाफ लडे देश की दूसरी बुराइयो के खिलाफ लडे, लेकिन साथ साथ आप उनको मताधिकार दीजिए। इसलिए मै इस विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से माग करना चाहता हू—अगर आप को कोई कठिनाई है इस बिल को स्वीकार करने मे, तो इसी सेशन मे दूसरा बिल लाइये, या वायदा कीजिए कि अगले सेशन, मे जो नवम्बर मे होगा, आप दूसरा बिल लायेगे ताकि आज नौजवानो के मन में जो शंका है कि आप उन्हे यह अधिकार नही देना चाहते, वह दूर हो सके और उन को यह अधिकार मिल सके, ताकि वे भी एक नये हिन्दुस्तान को बनाने मे, देश

[श्री रामावतार शास्त्री]

समाजवाद और जनतन्त्रीय प्रणाली को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। हिन्दुस्तान, के नौजवानों में ज्यादातर गरीब किसानों मजदूरों और मेहनतकश लोगों के बच्चे हैं, पूंजीपतियों के लड़के इन आन्दोलनों में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसलिए यह अधिकार उस को अवश्य मिलना चाहिए ताकि व एक नया समाज बना सकें और हमें को भी यह गर्व हो कि हमारे नये नौजवान देश को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं।

SHRI NIMBALKAR (Kolhapur): First of all, I want to thank you very much for giving me this opportunity to speak.

I am very much for this Bill, though I do not agree with the arguments put forward either from this side or from the other side. I do not, for instance, agree with the argument that because in the socialist countries 18-year olds and above are allowed to vote, therefore we must have the same thing in our country. In the socialist countries of which people are speaking, even if unborn babies were allowed to vote, the result would be the same. So to say that the 18-year olds in our country should be brought into the voters' list just because it is so in the socialist countries is an argument I do not accept.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Nobody argued like that.

SHRI NIMBALKAR: If you say that 18-year olds are also allowed to vote in socialist countries...

SHRI C. K. CHANDRAPPAN..... and in many other countries.

SHRI NIMBALKAR: If you say that, it becomes an argument. Prof. Mavalankar should at least agree with me on that.

SHRI P. G. MAVALANKAR: Shri Mahajan challenged Shri Shastri by saying that in the socialist countries they have still no vote at the age of 18. But Shri Mahajan is wrong. In Russia, for instance, the vote is given at the age of 18.

SHRI NIMBALKAR: That is apart. What Shri Mahajan wanted to say was different. If I were in the Opposition benches, I would have agreed with him on one point. But that is not the point. Let us consider our country and our society. What Shri Mahajan wanted to say was this. if I were given food as a voter, as an MP and if I cease to be an MP I cannot exist and my food will not be there, then it is a sort of pressure on me and as an MP I will not think freely. I will not be able to express my thoughts freely. If I am the member of a particular party, I will not have the courage to tell the party if it is going wrong. This was the point he wanted to make. There is nothing more than that.

I do not agree that that should be the main point for saying 'no to the 18 year olds. That is not the point either. I cannot agree with him that that should be made a point for saying 'no'. What I am trying to say is that what he said is not entirely wrong.

The real reason for me for supporting this lies in the census that was taken in 1970-71. It is a very interesting revelation. Our country is young in every sense. If you see the census figures, one third of the population of our country is below the age of 15; more than half the population are below the age of 20. Now, I ask; if you are going to have majority government here, should not the majority of the people be allowed to vote? If you will not allow people of 18 to vote, it means the majority are not voting for you. Then we are not coming here with a majority vote. In any case, we do not come with a majority vote, of the majority that is allowed to vote. This is a very basic point. I would say that the Government should definitely accept this because, surely, where is

democracy if the majority of the people are not allowed to vote? Even when a minority is allowed to vote, from that minority probably a minority comes into power. This should not be the case. This is the basic and the valid point why we should bring down the voting age to 18. It is not an argument to say that at 18 we get married and we do this or that at 18. If that were so, 16 is the minimum age for girls to marry and you can as well argue that girls should get voting right at 16. The real argument is, we should be proud that our country is young in every sense. This is one point on which there can be no difference of opinion. We would like to represent this country in the real sense. That is the main reason why we should reduce the voting age to 18.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam): Sir, I agree that our country is a young country. It is at the same time a very ancient country. It was said that some western countries have given the right to vote at 18. Due to climatic and other conditions, in western countries, the mind matures later than in this country. If westerners can think of lowering the voting age to 18 why not in India, where Shankara started the erudition when he was only 13 and toured the whole country from Himalayas downwards? Vivekananda attained self-realisation very early.

Gnaneswara wrote his commentory on Bhagvad Gita at a very early age. All these died young also.

Which party can say with its hand on its heart that it is not exploiting the youth? Whenever there is some situation, they involve the youth for their own selfish purposes. None of can claim we are free from this. The youth have a peculiar quality. They feel that something should be done. If some injustice is done, without having the patience to go into it, the youth try to sacrifice their lives like insects falling into the lamp. Is life not sweet for them? Being young, it should be sweeter for them, but still why do they go in such large numbers and sacrifices their lives in spite of repeated warnings? How many of us here are prepared to sacrifice our lives. As we become old, we become more selfish. Therefore, to involve the young people in the elections at a young age is good for the healthy functioning of democracy.

If we accept this proposal, the increase in the number of voters will be only 40 million, which is not a very big number. Public opinion has been in favour of this measure The newspopers have written editorials in favour of reducing the age of voting to 21. I was seeing some press cutting and I find that some parliamentary committee where Shri Jaganatharao was present has also made this recommendation.

There is one more reason why I support this measure. Out of these 40 million, about 20 million will be girls who are at the age of 18, and they will get the right of franchise. I was a staunch supporter of the prohibition of dowry. When this measure was passed I was in the Andhra Legislature. Here also I supported it. Pandit Nehru gave some rights to the women, some economic rights, by the amendment of the Hindu Succession Act. But the effect of it is that whatever little rights the girls had have been taken away. When a girl gets married at the age of 18, she has no property right. Is it for this position that the women of India fought and voted the present government to power? We voted for this government with the expectation that certain rights will be given to them. So, I would say that equal rights should be given to women.

MR. CHAIRMAN: That is a very good point, a very valid point, but do not bring it in this discussion on the question of voting age

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: If we accept this proposal

[Shrimati T. Lakshmikanthama]

2 crores of girls of the age of 18 will have an opportunity to influence the laws of this country.

Further, whether we agree to the partyless democracy of Shri Jaiprakash Narayan or not, certainly, all the political parties would be afraid of setting up candidates who have no reputation if young people are giving the right to vote. So, the parties will think many times before setting up their candidates. That is also an argument in favour of this proposal.

The question of the age for contesting to Parliament and State Legislaures has been discussed at great length The question is whether it should be reduced to 21. During the Telengana movement we found that many young people were elected to the Lok Sabha. So, on all these grounds, I support this proposal.

17 hrs.

*SHRI JAGDISH BHATTACHARYA (Ghatal): Mr. Chairman, Sir, this Constitution Amendment Bill brought forward by Dr. Pandey for reducing the voting age to 18 years is a very timely step. In the discussion that has taken place in this House on this Bill, it has been seen that a large majority of those participating, has supported it. A few members have of course objected to it on various grounds. It has been stated by them that at the age of 18 the boys are mostly engaged in their studies and it will not be proper to drag them in politics at that stage. To that objection I will say that there is no justification for thinking that the boys who ake interest in politics, are neglecting their studies. Further, just because they have been given the voting right it does not automatically follow that they are entering politics. Sir, elections are held at an interval of five years. If the youth of 18 earn the right to vote in those elections it does not mean that they are indulging in politics at the cost of their studies. There is no ground to imagine such a thing. Moreover, what is the percentage of educated persons among our present day voters? In our country hardly 30 per cent of the total population is literate and judging from the trend of things it can be said that at the end of the current century people from other countries will come to India to see what an illiterate person looks like because illiterate persons won't be found anywhere else on this earth. But they will be found in plenty in our country about that we are quite sure. Therefore, I do not think that so much concern need unnecessarily be shown to the educational aspect in the matter of giving voting right. Another objection that has been voiced against this Bill is that a person should have some source of income or means of earning his livelihood before he gets right of franchise. This is hardly possible at the age of 18. This objection has been raised by Shri Mahajan. In this connection I will ask that in our country what is the age at which a person is provided with certain means of livelihood? Is there any guarantee about that? In this unfortunate country many people do not get anly means of livelihood throughout their life. They spend their entire life begging from door to door. Therefore, if one has to wait for some means of earning his livelihood before he gets right of voting then, I am afraid, a large number of voters will have to be removed from the voters' list. There is also no logic for saying that a person will turn corrupt or dishonest if he has no means of earning his livelihood. In our country, I believe, that they are the most corrupt persons who are quite affluent and have enough means of earning a decent living. The rich people are most corrupt but they have the voting right and it is also much easier for them to win elections.

Shri Ramavtar Shastri has justly pointed out that during our freedom struggle the majority of those who jumped into the fray and risked their lives to free this country from the

*The Original speech was delivered in Bengali.

shackless of slavery, had not attained the age of 21. Sir, 'Kshudiram' the great revolutionary embraced the gallows while fighting the alien rulers. But what was his age at that time? According to the present provisions he was not mature enough to get the right of voting.? Is it not fantastic? Only the other day here we paid tributes to the memory of one of our party's leaders, Shri Hare Krishna Konar. Sir, at the age of only 16 he suffered imprisonment in the Andamans as a revolutionary in our freedom movement.

Therefore, Sir, if the youth of our country could fight in the freedom struggle and invite imprisonment and death before attaining the age of 18, if they are even today considered fit to join our Defence forces and the defence of our motherland can he entrusted to them at the age of 18, there is no justification for denying them the right of franchise at that age. Sir, many of our women attain motherhood at the age of 18. If they are fit to bear the heavy responsibility of bringing up children at that age, surely they are fit enough to bear the responsibility of electing their representatives to the State assemblies or the Parliament. Sir, if our young boys and girls get the right to vote at the age of 18, they will become conscious of their responsibility even earlier and will behave in a responsible manner. They will be more mature in their outlook and more rational in their actions. They will be conscious of their obligations to the society, because rights and obligations go together. This will go a long way in producing better citizens for tomorrow. The young people will not go astray but will devote themselves to constructive activities and responsible behaviour. Sir, I extend my full support to this Bill.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : इस बिल के दो पहलू हैं और दो मांगें की गई हैं। पहली यह है कि आर्टिकल 19 में क्लाज एच जोड़ी जाए ताकि मतदान का अधिकार फंडेमेंटल राइटस में आ जाए। क्लाज 3 के जरिए आर्टिकल 326 संविधान में मतदान को जो आयु 21 वर्ष है उसको घटा कर 18 वर्ष किया जाए। मैं पहले क्लाज 2 के बारे में कहना चाहता हूं। यह विषय जब संविधान तैयार किया जा रहा था, उस समय भी उठा था। इसको उठाने वाले थे स्वर्गीय श्री के एम मुंशी। संविधान सभा ने उस समय तीन कमेटियां बनाई थी। एक का नाम था फंडेमेटल राइटस सब कमेटी जिस के अध्यक्ष आचार्य जे वी कृपलानी थे और उसके ग्यारह सदस्य थे, जिन में श्री मसानी, राजकुमारी अमृत कौर, श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, श्री के टी शाह, डा० अम्बेदकर, श्री जयरामदास दौलतराम, श्री के एम मुंशी, श्री हंसा मेहता, श्री के एम पाणिकर आदि। दूसरी कमेटी जो माइनोरिटी कमेटी थी उसके चेयरमेन श्री एस सी मुखर्जी थे और उसके 34 सदस्य थे। उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी। दोनों में मतभेद था और राजा जी उस मतभेद के अगुवा थे। इसलिए तीसरी कमेटी जो कि एडवाइजरी कमेटी आन फंडेमेटल राइटस, माइनोरिटीज, ट्राइबल एण्ड एक्सक्लूडिड एरियाज सब को थी और इसके स्वर्गीय सरदार पटेल अध्यक्ष थे और जिस के 78 और सदस्य थे उस कमेटी ने इस पर विचार किया। उस कमेटी ने अपने 23 अप्रैल के पत्र में संविधान सभा के अध्यक्ष को लिखा कि सब बातों पर विचार करने के बाद कमेटी की यह राय है कि इस को फंडामेंटल राइट न बनाया जाये। मैं समझता हूं कि जो बात इतनी खोज, तर्क और विचार के बाद निश्चित की गई है, उस में कोई परिवर्तन नही होना चाहिए। इस लिए इस बिल की क्लाज 2 में जो यह मांग की गई है कि संविधान आर्टिकल 19 में ब-क्लाज (एच) जोड़ी जाये, मैं उसका विरोध करता हूं।

[श्री नीतिराजसिंह चौधरी]

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय हुआ है, उस में संविधान के कुछ बेसिक राइटस कहे गये हैं। उन में मतदान का राइट एक बेसिक राइट माना गया है। इस सब को देखते हुए मैं समझता हूं कि डा० पांडेय यह स्वीकार करेंगे कि उन्होंने क्लाज 2 में जो मांग की है, वह उचित नहीं है।

क्लाज 3 में यह मांग की गई है कि---

सभापति महोदय : आप क्लाज 3 मान जायें, तो वह क्लाज 2 मान जायेंगे।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं क्या कह रहा हूं, यह सुन लीजिए। मैं न किसी के उत्तेजना के शब्दों से उत्तेजित हुआ हूं और न गालियां देने का मुझ पर असर पड़ा है।

एक माननीय सदस्य : गालियां किसी ने नहीं दी हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। खैर, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। जो कुछ मुझे कहना है, वह मैं कह रहा हूं।

क्लाज 3 में व्यस्क मताधिकार के बदले में बालिग मताधिकार की बात कही गई है। कुछ लोगों ने बड़े मजे के साथ कहा है कि जब आदमी 18 साल में शादी कर सकता है, तो वोट क्यों नहीं दे सकता है। मैं उनको केवल इतना याद दिलाना चाहता हूं कि शादी की उम्र बढ़ाने की मांग बड़े जोरों से चली है और लोग 25 और 21 साल की मांग कर रहे हैं। इस लिये अगर माननीय सदस्य इस तर्क को न रखे, तो ज्यादा अच्छा होगा।

संसार में केवल एक देश है मेक्सिको, जहां यह तर्क माना गया है। वहां मताधिकार का हक, यदि कोई शादीशुदा हो, तो 18 साल वाले को है, और यदि शादी नहीं हुई है, तो उसका 21 वर्ष का होना जरूरी है। संसार के बाकी देश में शादी से मताधिकार को नहीं जोड़ा गया है। हम भी न जोड़े, तो अच्छा है।

इस बहस के दौरान प्रोफेसर मावलंकर और डा० वी० के० आर० वी० राव ने कहा है, उसका सब सदस्यों ने उल्लेख किया है। उन्होंने जो कुछ कहा है,उस का एक अंश मैं आप की अनुमति से पढ़ देना चाहता हूं।

Prof. Mavalankar said.

> The youths in foreign countries psychologically, intellectually and emotionally are more active, responsible and advanced; our youths lag behind.

डा० वी० के० आर० वी० राव ने कहा है :

> They are being politicalised but not on right lines; by giving voting rights political parties will take more serious interest in them, responsible interest more open interest in them.

मैं इससे असहमत नहीं हूं। यह बात सही है कि जब किसी आदमी पर जिम्मेदारी आयेगी, तब वह बात करने में भी जिम्मेदारी महसूस करेगा। और अगर उसको गैर जिम्मेदारी से बात करना है, तो वह कुछ भी कह सकता है-- उसको अगर ऊल-जलूल भी कहा जाय, तो गलत नहीं होगा। लेकिन प्रोफेसर मावलंकर ने और डा० राव ने भी इस संबंध में यह जो बात कही है, वह कालेजों में पढ़ने वाले युवकों के बारे में ही है। इस देश में 18 साल की आयु पर मतदान का हक देने का जो सवाल है, उसका संबंध केवल उन युवकों से नहीं है, जो कालेजों में पढ़ते हैं। अगर 18 साल के व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया जायेगा, तो चाहे वह युवक जगदलपुर के जंगल में रहता हो, चाहे अरावली में रहता हो, चाहे दिल्ली के आस पास के किसी गांव में हल-चलाता हो, चाहे कहीं भी हो, वह अधिकार सब को होगा। इस बारे में उनके विचार क्या हैं, इस विषय पर किसी ने कुछ नहीं कहा है। जनरल भाषा

में कहा है। प्रोफेसर मावलंकर और डा० राव ने विशेषकर कालेजों में पढ़ने वाले युवकों के बारे में कहा है।

सभापति महोदय : उन्होंने एडल्ट सफरेज एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कही है "एडल्ट" में सब का मतलब आ जायेगा आप किसे एडल्ट कहेंगे ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : "एडल्ट" तो अभी भी हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कि बालिग मताधिकार होना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 326 में "एडल्ट" शब्द का उपयोग किया गया है। और 21 वर्ष की आयु का जिक्र किया गया है। डा० पांडे ने कहा है कि मैजारिटी एक्ट में 18 वर्ष के व्यक्ति को बालिग माना जाता है, वह कानून में मुआहिदे कर सकता है, तो उसको मतदान का अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता है। मैं इसको मान सकता हूं। लेकिन जैसा कि कि मैंने कहा है,.....

SHRI P. M. MEHTA: If uneducated youths are given legal rights for all other purposes, why they should not be given the rights for this purpose also.

MR. CHAIRMAN: What is the definition of an adult and why do you say that an adult as far as the voting right is concerned, begins at the age of 21. This is the question that has been raised.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHURY: If you read Art. 326 you will find the definition of 'adult'. The constitution makers felt that one who has completed twenty one years of age shall be entitled to vote. That is the interpretation of Art. 326. A person, after completing 18 years of age becomes major under the Indian Majority Act. If that is so why he should not be given the right of vote at the age of 18. That was the point raised by Dr. Pandeya.

SHRI P. G. MAVALANKAR: A person who is 21 years is an adult for voting. For other purposes the age is 18. According to our Constitution one who is 21 years of age is an adult and who is less than that is not. Is this the argument?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHURY: I am only saying that as far as a plain reading of Art. 326 itself goes, the framers of the Constitution felt at that time that a person must be 21 years of age when only he should be given the voting right. I am only saying that.

MR. CHAIRMAN: Mr. Mavalankar, he is only relying on Art. 326.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHURY: I am not going into the dictionary meaning of the word 'adult'.

MR. CHAIRMAN: He agrees, Mr. Mavalankar, that for other purposes it is 'yes' and for voting purposes it is 'No'.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : चेयरमैन, साहब, मुझे जो कहना है, वह मैं कह रहा हूं। अर्थ लगाने वालों को स्वतंत्रता है कि जो अर्थ वे लगाना चाहें वे लगायें।

रवि ठाकुर ने गीतांजलि लिखी। उसके बाद वह जर्मनी में गये। वहां कहीं एक सज्जन गीतांजलि पढ़ा रहे थे। उन्होंने रवि ठाकुर से कहा कि मैं गीतांजलि पढ़ा रहा हूं, आप आइये, सुनिये, मैं ठीक पढ़ा रहा हूं या गलत पढ़ा रहा हूं। उन्होंने उसका एक अर्थ लगाया और उसके बारे में रवि ठाकुर से पूछा। सुनने के बाद रवि ठाकुर बोले कि मेरे मन में तो यह कल्पना नहीं थी, लेकिन इसका यह अर्थ जरूर हो सकता है।

इस लिये मैं कह रहा हूं कि जिस ने जो अर्थ लगाना हो, वह लगाये। मुझे जो कहना है वह मैं कह रहा हूं।

मत देने के लिये आयु कितनी हो, यह बात आज ही खड़ी नहीं हुई है। यह बात

[श्री नीति राज सिंह चौधरी]

बार इस सदन में आई है और इस पर विचार हुआ है। शासन ने इस बारे में हर तरह से जांच की है और इस पर विचार किया है। माननीय सदस्य मानेंगे कि इस प्रश्न का संबंध केवल केन्द्र से नहीं है, बल्कि इसका संबंध प्रदेशों से भी है और इस को अमल में लाने की सब जिम्मेदारी प्रदेशों पर है। मैं जो आंकडे दे रहा हूं, उससे यह स्पष्ट हो जायेगा।

यदि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाये, तो अपनी जनसंख्या के अनुसार 5 करोड़ से ऊपर मतदाता बढ़ेंगे। चूंकि 800 मतदाताओं के लिये एक पोलिंग स्टेशन होता है, इस लिए 40 हजार से ऊपर मतदान केन्द्र बढ़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर पांच आदमी मतदान की व्यवस्था को रखते हैं। इस तरह दो लाख से ऊपर आदमियों की आवश्यकता होगी। इसी तरह सुरक्षा के लिये भी अधिक आदमियो की जरूरत पड़ेगी।

ये सब व्यवस्थायें स्टेट्स को करनी होंगी। इस समय हम कोई निर्णय कर लें और आगे चल कर दिक्कत हो, यह गलत बात है। इस लिये स्टेट्स से पूछा जाना चाहिए कि इस विषय में उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। जब तक उनके उत्तर नहीं आ जाते हैं, तब तक कोई निश्चय या निर्णय करना संभव नहीं है। यह बात स्टेटस को रेफर की जानी चाहिए और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

इस संबंध में श्री सेन-वर्मा, भूतपूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी, का उल्लेख किया है। **हिन्दुस्तान टाइम्स** में उनका एक इन्टरव्यू छपा था। इन्टरव्यू के पहले भाग में उन्होंने कुछ कहा है और दूसरे भाग मे कुछ कहा है। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं खुद कह रहा हूं कि यह बात संभव है, मगर इस बारे में केन्द्र ही अकेले नही कर सकता है। इस संबंध में प्रदेशों की भी राय लेनी होगी। जब उन पर जिम्मेदारी डालनी है, तो उनकी स्वीकृति लेना भी आवश्यक है।

श्री जनेश्वर मिश्र : इतने बड़े मसले को राज्य सरकारों पर छोड़ना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा।

सभापति महोदय : वे छोड़ नहीं रहे हैं, सलाह ले रहे हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : किस लिये सलाह ले रहे हैं? खर्चा पड़ेगा तो क्या उनको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा? खर्चा जो यह सरकार करती है वह अपने पैसे से करती है या जनता के पैसे से और वोटरो के पैसे से करती है? खजाना तो हम लोग देते हैं, जनता देती है। जनता के पैसे से इतजाम करना पड़ता है ना इनका दिमाग क्यों खराब हो रहा है?

SHRI P G MAVALANKAR Do we understand that the Government of India is in favour of this proposal for lowering the voting age from 21 to 18, and that the State Governments have been asked to give their views?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY I am saying the matter on examination was found to involve a lot of expenditure and the State Governments have to be asked and referred to

SHRI C M. STEPHEN (Mewattupuzha) The hon Minister is putting reliance on Article 326 for the purpose of equating adults with 21 years of age. Article 326 reads.

> ". every person who is a citizen of India and who is not less than twenty-one years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature...."

That is to say supposing the law passed by the legislature says for the purpose of election 1974 supposing we say in the year 1976 any person who will be 21 years of age two years after the date of election will be entitled to vote because the date is given free to the legislators. The date on which you must be 21 years is left for the legislators to be fixed. It is not stated that

the date must be prior to the date of election. The legislators can fix a date subsequent to the date of election.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: That was not the point. The point was something else. It was in some other connection that Article 326 was referred to.

~~**श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय :**~~ इसके बाद बहस के दौरान यह भी कहा गया कि मतदान की प्रणाली क्या हो, कैसी हो, उसका इस बिल से संबंध नही है। लोगो ने कहा कि यह लिस्ट सिस्टम हो, प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन हो, जिन लोगों ने कहा मै उनसे पूछूं कि क्या उनके दल ने भी इस सिस्टम को एडाप्ट किया है? लेकिन इस बिल से इसका संबंध नही है, इसलिये मै इसके बारे मे कुछ नही कहता।

हमारे दल के भाई चिन्तामणि पाणिग्रही ने कहा कि रास्ते दो तरह के हो सकते हैं—एक रास्ता साधारण तौर से हमेशा चला हुआ और एक कम चला हुआ, लेस ट्रेवेल्ड पाथ। चिन्तामणि पाणिग्रही जी और हमारे साथी सब जानते हे कि काग्रेस एक ऐसी संस्था रही है जिसने हमेशा वह रास्ता अपनाया है जहा पर लोग नही जाते थे, यानी लेस ट्रेवेल्ड पाथ पर लोग हमें ले गये है। जो कठिनाईया है वह मैने सामने रखी और मै पाडेय जी से प्रार्थना करूंगा कि पहले भाग को तो स्वीकार नही किया जा सकता, वह भी इससे सहमत होगे और दूसरे भाग मे कठिनाइयो को देखते हुये इस समय वे अपने इस बिल को वापस लेगे। (इति)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि समय थोड़ा सा बढ़ा दिया जाय।

सभापति महोदय : साढ़े पांच के बाद तो बढ़ाया नही जा सकता और इस पर इतनी चर्चा हो गई है, इसके शुरू में आपने इतना सुन्दर भाषण दिया है और बाकी सब लोगों ने भी बोल लिया है तो अब इसको ज्यादा लम्बा न करके सारांश में कह दीजिये।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : सभापति महोदय, मै सदन के सभी सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होने इस विधेयक का हार्दिक समर्थन किया है। दो तीन माननीय सदस्यों ने कुछ दबे शब्दों में विरोध किया है लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होने कोई तर्क उस के पीछे दिये हों या उन के तर्क बडे महत्वपूर्ण रहे हो, ऐसी बात नही है। उनके तर्क भी इस प्रकार के थे कि जिस के कारण वे चाहते तो जरूर है कि किसी प्रकार से वोटिंग एज कम की जाय लेकिन केवल विरोध मात्र करने के लिये उन्होने इस तरह के कुछ कारण प्रस्तुत किए। माननीय मंत्री जी ने भी, जो मै ने तर्क दिये उनका कोई स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया। मैंने यह कहा था कि पैटीशन्स कमेटी जो इसी हाऊस की कमेटी है, जिसने अपना मत व्यक्त किया है उसके बारे मे मंत्री महोदय का क्या कहना है? मंत्री महोदय ने एक शब्द भी उस के बारे मे नही कहा। मैने फिर कहा था कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी आन एलेक्शन लाज अमेंडमेंट बिल, ने यह भी कहा है, उसने अपनी यूनानिमस राय दी है कि इस तरह से आर्टिकल 326 का संशोधन होना जरुरी है सरकार संशोधन करे। उस के बारे मे भी मंत्री महोदय ने कुछ नही कहा है मै समझता हू कि माननीय मंत्री जी के पक्ष मे यह उचित नही है कि अपने ही सदन की दो महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार की राय व्यक्त करें और उसके बारे में कुछ बात यहा पर न करे। जहा तक माननीय मंत्री जी ने अपने दूसरे तर्क रखे है उन मे भी कोई ऐसे तर्क नही है जो कोई समाधान प्रस्तुत करते हो। आज सम्पूर्ण विश्व मे जहां भी देखें इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि मतदान की आयु कम की जाय और मतदान की आयु प्रत्येक देश धीरे धीरे कम करता जा रहा है। आज ही सूचना प्राप्त हुई है कि लग्जमबर्ग ने अपने

[श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

मतदान की आयु 21 वर्ष से हटा कर के 18 वर्ष कर दी है। अभी फ्रांस से भी इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। तो केवल यह कह देना कि अभी हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कोई अर्थ नहीं रखता। प्रदेश सरकारों की राय की बात कही गई, मैं इस संबंध में केवल तमिलनाडु की सरकार का उल्लेख करूंगा। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री करुणानिधि की तरफ से यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि वे चाहते हैं कि मतदान की आयु घटा कर 21 से 18 वर्ष की जाय और इस के लिये भारत के सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर इस का निर्णय लिया जाय। तो वह भी इस के पक्ष में हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी राज्य सरकार को भी कोई विमति इस में हो सकती है। और राज्य सरकारों ही को भी इस में आने की आवश्यकता भी नहीं है। यह तो केन्द्रीय सरकार का विषय है। चुनाव का सारा विषय केन्द्रीय सरकार का विषय है। केन्द्रीय सरकार यह निर्णय करती है और माननीय मंत्री जी अपने तर्कों द्वारा किसी भी माननीय सदस्य को संतुष्ट करने में सफल नहीं हुये हैं।

उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 326 के अन्दर एडल्ट सफरेज की बात की गई है और उस में 21 वर्ष रखा गया है। लेकिन इंडियन मेजोरिटी ऐक्ट, पार्टनरशिप ऐक्ट, हिन्दू मैरिज ऐक्ट तथा और दूसरे ऐक्टस के अन्दर जो एडल्ट की व्याख्या की है क्या उस को आप स्वीकार नहीं करते? यदि सविधान के अनुसार या संविधान की मंशा के अनुसार जैसा कि मंत्री जी तर्क दे रहे हैं, यह मान लिया है कि एडल्ट का अर्थ 21 वर्ष है तो आप के दूसरे कानून क्या निरर्थक हैं? अर्थात संविधान द्वारा समर्थित नहीं हैं? या संविधान की भावना के विपरीत हैं? यदि इस प्रकार आप मानते हैं तो परस्पर विरोधाभास खड़ा हो जायगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय का भी ऐसा आशय नहीं है और वे स्वीकार करते हैं कि एडल्ट की एज 18 वर्ष है और संविधान के निर्माताओं की भी यही मंशा थी कि 18 वर्ष में एडल्ट हो जाता है। लेकिन उस समय की परिस्थितियों में वे 21 वर्ष की आयु वालों को ही यह अधिकार देना चाहते थे, उस से कम की आयु वाले को नहीं देना चाहते थे, किन्तु आज हमारी आजादी के 25–26 वर्ष पूरे हो गए हैं, प्रजातंत्र की मान्यताएं हमारी खड़ी हो गई हैं, लोग प्रजातन्त्र को समझने लगे हैं और आज युवक खड़ा हुआ है, अपने अधिकार के लिए बलपूर्वक मांग कर रहा है कि हमको अधिकार यह मिलना चाहिए। माननीय सदस्य तथा अर्थ-शास्त्री डा०वी०के०आर०वी राव और शिक्षा शास्त्री माननीय मावलंकर जी जैसे और दूसरे लोगों ने भी, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स तथा देश के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने, सबने एक मत से कहा है कि वोटिंग एज कम की जानी चाहिए। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज वह युवक जगा है, अपना अधिकार ले कर रहेगा और जैसा कि माननीय सदस्य डागा जी ने कहा है जो आप के ही दल के हैं कि आप प्रेम से नहीं देते, प्यार से नहीं देते तो युवक तो इतना सजग और सचेत है कि वह बलपूर्वक अपने अधिकार को प्राप्त कर के रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे लिए उचित है हम उस को यह अधिकार सहर्ष दें। यह मांग समय की मांग है। इससे प्रजातंत्र को बल मिलेगा भारत के नवनिर्माण की दिशा में यह एक सही कदम होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने इस का समर्थन किया है और मंत्री महोदय भी इसे स्वीकार करेंगे। वे पुनः विचार करें और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। सदन से भी मैं इसे स्वीकार करने की प्रार्थना करूंगा।

MR. CHAIRMAN: Would the hon. Mover like to press his Bill or would he consider withdrawing it?